सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिंदी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

मई, 2017 वर्ष 16 अंक 03

कर ले भले तू काम याँ

हम्द कर अल्लाह की, है हम्द के लाइक़ वही
ख़ल्क़ का ख़ालिक़ वही, और ख़ल्क़ का राज़िक़ वही
क्या है भला, क्या है बुरा, सब उस ने है बतला दिया
आख़िर नबी को भेज कर, अच्छी तहर समझा दिया
कर ले भले तू काम याँ, आएंगे तेरे काम वाँ
बाद मरने के तुझे, है मुस्तक़िल रहना जहाँ
ईमान बिन तो काम कोई, ख़ैर का होता नहीं
हुब्बे मुहम्मद के बिना, ईमान भी होता नहीं
ईमान ला अल्लाह पर, उसके रसूले पाक पर
दीन वह लाए हैं जो, उस दीन की हर बात पर
रहमतें या रब नबी पर और हों लाखों सलाम
उन के आल अस्हाब पर भी, रहमतें या रब मुदाम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	03
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	05
प्रत्येक जीव को मृत्यु का	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	07
नमाज़ में अल्लाह के रसूल सल्ल0	ह0 मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0	10
माली इदारों को सूद से पाक	ह0 मौ0 सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी	13
अस्री मसाइल और सीरते नबवी	डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी	16
हमारा स्वभाव गैरमुस्लिमों में	ह0 मौ0 सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
मस्जिद में निकाह	इं0 जावेद इकबाल	33
अहले खैर हज़रात	मौलाना फ़खरुल हसन खां नदवी	37
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-निसाः

अनुवाद–

अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सन्तान (की वरासत[1]) के बारे में यह आदेश देता है कि पुरुष के लिए दो महिलाओं के हिस्से के बराबर है और अगर दो से ऊपर केवल महिलाएं हैं तो (मृतक) जो छोड़ जाए उसका दो तिहाई उन का है और अगर केवल एक ही महिला हो तो उस के लिए आधा हिस्सा है और माँ–बाप में से दोनों के लिए अगर (मृतक की) संतान है तो छठा हिस्सा है[2] और अगर संतान नहीं है और केवल माँ–बाप ही वारिस हैं तो उसकी माँ का तिहाई हिस्सा है और अगर उसके कई भाई हों तो उस की माँ के लिए छठा हिस्सा है यह (सारा विभाजन) उस वसीयत के लागू करने के बाद होगा जो वह कर गया है और क़र्ज़ को अदा करने के बाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए लाभ दायक कौन अधिक है, यह अल्लाह की ओर से ज़रूरी किया हुआ है बेशक अल्लाह खूब जानता बड़ी हिकमत वाला है[3](11) और जो तुम्हारी पत्नियां छोड़ जायें अगर उनकी संतान न हो तो तुम्हारा आधा और अगर उनके संतान हों तो वे जो भी छोड़ जाएं उस का चौथाई तुम्हारा है उस वसीयत के निकालने के बाद जो वसीयत वे कर जाएं या क़र्ज़ (को अदा करने) के बाद और तुम जो छोड़ जाओ उस में उनके लिए चौथाई है अगर तुम्हारी संतान न हों, और अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम जो भी छोड़ जाओ उस का आठवां हिस्सा उन का है, इस वसीयत (को निकालने) के बाद जो वसीयत तुम कर ज़ाओ या क़र्ज़ को अदा करने के बाद और अगर कोई मृतक पुरुष या महिला, ऐसा हो कि उस के बाप बेटा न हो और उसका एक भाई या बहन हो तो दोनों में हर एक के लिए छठा हिस्सा है और अगर वे उससे अधिक हों तो वे सब एक तिहाई में साझीदार होंगे उस वसीयत को लागू करने के बाद जो की जा चुकी है या क़र्ज़ (को अदा करने) के बाद किसी को नुक़सान पहुंचाए बिना, यह अल्लाह की ओर से एक आदेश है और अल्लाह खूब जानता है और बहुत सहनशील है[4](12) यह अल्लाह की निर्धारित सीमाएं हैं और जो भी अल्लाह और उसके पैग़म्बर की बात मानेगा अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में प्रवेश कराएगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी उनमें वे सदा रहेंगे यही ज़बरदस्त सफलता है(13) और जो अल्लाह और उसके पैग़म्बर की नाफ़रमानी करेगा और उसकी निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको (दोज़ख़ की) आग में डाल

देगा उसी में वह सदैव पड़ा रहेगा और उसके लिए बड़ा अपमान जनक अज़ाब है(14) और तुम्हारी महिलाओं में जो बदकारी (व्यभिचार) करें तो उन पर अपने लोगों में से चार गवाह कर लो, फिर अगर वे गवाही दे दें तो उन (महिलाओं) को घरों में रोक रखो यहां तक कि उनको मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे[5](15) और तुम में से दो अगर यह काम कर जाते हैं तो तुम उनको यातना दो फिर अगर तौबा कर लें और अपने को सुधार लें तो उनकी उपेक्षा करो बेशक अल्लाह बहुत तौबा स्वीकार करने वाला बहुत ही कृपालु है[6](16) तौबा तो अल्लाह तआला उन लोगों की स्वीकार करता है जो नादानी में बुरा काम कर जाते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं तो ऐसों की अल्लाह तौबा स्वीकार करता है और अल्लाह खूब जानने वाला है बडी हिकमत वाला है(17) तौबा उनके लिए नहीं है जो बुराईयां किये जाते हैं यहां तक कि जब उन में से किसी के पास मौत आ पहुंचती है तो वह कहता है अब मैं तौबा करता हूं और न उन लोगों की तौबा स्वीकार होती है, जो कुफ़्र की हालत में मरते हैं ऐसों के लिए हम ने दुखद अज़ाब तैयार कर रखा है[7](18)

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. यह दोनों विरासत की आयतें कहलाती हैं इन में विरासत के अधिकारों को विस्तार से बयान किया गया है।

2. बाक़ी दो तिहाई बाप का होगा, यह उसी दशा में है जब संतान न हो।

3. इसलिए तुम इसमें दखल मत दो जो जिस का हिस्सा निर्धारित किया गया है अदा कर दो।

4. यह पांच मीरासें बयान की गई हैं यह सब "ज़विल फुरुज़" यानी निर्धारित हिस्से वाले कहलाते हैं फिर अगर कुछ बचता है तो वह असबा का होगा और असबा मृतक के निकट पुरुषों को कहते हैं जिनके हिस्से आयतों में निर्धारित नहीं किये गये, जैसे बेटे बेटियां यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से असबात में शामिल नहीं है, लेकिन बेटों के साथ मिलकर वे असबात में शामिल हो जाती हैं, इस दशा में शुरु आयत ही में यह नियम बना दिया गया है कि मर्द को औरत का दो गुना मिलेगा, इसी तरह संतान न हो और भाई बहन हों तो भी उसी प्रकार विभाजन होगा जिस प्रकार संतान में होता है विभाजन इन्साफ़ के साथ किया जाए किसी को नुक़सान न पहुंचाया जाए, इसी प्रकार मृतक को भी चाहिए कि वह मरने से पहले कोई ऐसी वसीयत न कर जाए जिससे किसी को नुक़सान पहुंचता हो लिहाज़ा वारिसों में किसी के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है, शरीयत ने जो जिसका अधिकार रखा है वह उसको मिलेगा इसी प्रकार किसी दूसरे के लिए भी तिहाई माल से ज़ियादा में वसीयत करना मुनासिब नहीं है, "कलालह" उसे कहते हैं जिसके ऊपर न कोई हो और नीचे।

शेष पृष्ठ....6 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

हसद (ईर्ष्या) का बयानः-

हजरत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हसद से बचो, हसद नेकियों को इस प्रकार खा जाती है जैसे लकड़ी को आग खाती है या फरमाया कि सूखी घास को।

(अबू दाऊद शरीफ)

तजस्सुस (जिज्ञासा) करने की हुर्मतः-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, बद गुमानी से बचो, बद गुमानी सबसे झूठी बात है और किसी की बात कान लगा कर मत सुनो, किसी के ऐब की जिज्ञासा न करो, आपस में हसद न करो, आपस में बुग्ज (द्वेष) व अदावत न रखो, एक दूसरे से तअल्लुकात खत्म न करो, और हो जाओ अल्लाह के बन्दे भाई भाई जैसा कि तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया है। मुसलमान मुसलमान का भाई है न उन पर जुल्म करे न उन को बेयारो मददगार छोड़े, न उनको हकीर (तुच्छ) समझे, फिर आप अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा कर के फरमाने लगे कि परहेजगारी इस जगह है। परहेजगारी इस जगह है अर्थात परहेजगारी का संबंध दिल से है बनावट और दिखावे से नहीं! और आदमी के लिए इतनी ही बुराई काफी है कि वह अपने भाई को तुच्छ समझे, हर मुसलमान पर मुसलमान का खून, उस की इज्जत व आबरू उस का माल हराम है, अल्लाह तआला न तुम्हारे जिस्मों को देखता है न तुम्हारी सूरतों को और न तुम्हारे आमाल को, बस उसकी नजर तो तुम्हारे दिलों पर है।

अर्थात यह कि अगर दिल में इख्लास व परहेजगारी नहीं तो जाहिरी आमाल से अल्लाह तआला को धोका नहीं दिया जा सकता। और एक रिवायत में है कि एक दूसरे से जुदाई न करो, आपस में कीना व दुशमनी न रखो, एक दूसरे की ऐब जोई न करो, एक दूसरे की बात कान लगा कर न सुनो, दाम दे कर कीमत न बढ़ाओ, अर्थात कोई सौदा कर रहा हो, तो कोई दूसरा आदमी उसके दाम लगाने लगे ताकि खरीदार उसके अस्ली दाम समझ कर फंस जाये, और अल्लाह के बंदे भाई भाई हो जाओ।

और एक रिवायत में है कि एक दूसरे से जुदाई न करो, आपस में कीना और दुशमनी न रखो, एक दूसरे के ऐब तलाश न करो, एक दूसरे की बात कान लगा कर न सुनो। दाम दे कर भाव न बढ़ाओ, और अल्लाह के बंदे भाई भाई हो जाओ।

और एक रिवायत में है कि आपस में रिश्तों को न तोड़ो आपस में गुस्सा न

करो, आपस में हसद न करो, आपसी तअल्लुकात खत्म न करो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ, और एक रिवायत में है कि आपस में जुदाई न इख्तियार करो, और अपना सौदा दूसरे के बेचने के समय आगे न करो।

हज़रत मुआविया रज़ि0 से रिवायत है कि तुम अगर मुसलमानों के भेदों की टोह लगाओगे तो या तो उनको बुरा कर दोगे या बुराई के करीब कर दोगे, (अबूदाऊद) अर्थात मुसलमानों को निफाक या झूठ बोलने या राजदारी के साथ काम करने की आदत पड़ जायेगी और दूसरे उनके अख्लाक और किरदार बिगड़ जायेंगे।

हजरत इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि उनके पास एक आदमी को लाया गया और उन को बताया गया कि शराब उसकी दाढ़ी से टपक रही है, उन्होंने कहा हम को ऐब तलाश करने से मना किया गया है लेकिन जब ऐब खुद ही जाहिर हो जाये तो हम उसकी सज़ा देंगे। (अबूदाऊद)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, बदगुमानी बहुत झूठी बात है।

(बुखारी--मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया आदमी के लिए इतनी ही बुराई काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। (मुस्लिम)

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस के दिल में थोड़ा भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में न जायेगा, एक आदमी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदमी की फितरत है कि वह अच्छे कपड़ों को पसंद करता है अच्छे जूतों की तमन्ना होती है, फरमाया अल्लाह तआला जमील है, जमाल को पसंद करता है तकब्बुर तो यह है कि आदमी हक बात न माने और लोगों को हकीर समझे।

(मुस्लिम)

--प्रस्तुति--
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

कुर्आन की शिक्षा.....

5. बलात्कार की सज़ा उतरने से पहले का यह आदेश था, फिर अल्लाह ने रास्ता यह बता दिया कि विवाहित को पथराव करके मार डाला जाय और अविवाहित को सौ कोड़े लगाये जाएं।

6. पुरुष बलात्कार करे या समलैंगिकता करे इसकी सज़ा पहले यही थी कि उसको कठोर यातना दी जाए बाद में बलात्कार की सज़ा बयान कर दी गई।

7. जब मौत पक्की हो जाए और आखिरत दिखाई देने लगे तो तौबा स्वीकार नहीं होती, मौत की तकलीफ़ें जब ज़ाहिर हो जाएं या क़यामत की खुली निशानियां ज़ाहिर हो जाएं यानी सूरज पश्चिम से निकल आए।

❖❖❖

--प्रस्तुति--
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

प्रत्येक जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

जो यहां आता है वह जाता यहां से है ज़रूर
जन्म लेता जो यहां है मृत्यु पाता है ज़रूर

मौत (मृत्यु) की वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता परन्तु मौत के पश्चात क्या होता है इसमें मतभेद हुआ, जिन्होंने केवल अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास किया वह उस की वास्तविकता तक पहुंचने में असफल रहे अतएव कुछ ने तो कह दिया:

सैर कर दुन्या की गाफिल जिन्दगानी फिर कहां?
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां?

कोई यह भी कह उठा:

इस संसार में खूब भोग विलास कर लो ऐसा अवसर पुनः न मिल सकेगा।

कुछ चिन्तकों ने जब देखा कि इस जीवन का परिणाम अब मौत ही है तो उन की दृष्टि से इस सांसारिक जीवन का भोग विलास गिर गया और वह त्याग का जीवन अपना कर सन्यासी बन बैठे।

हम इस विषय पर इस्लाम की सत्य सूचनाएं तथा शिक्षाएं प्रस्तुत कर के एक ओर अपने पाठकों को यह पाठ स्मरण कराऐंगे तो दूसरी ओर उनको प्रेरित करेंगे कि वह इन सूचनाओं तथा शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचा कर समाज को शन्तिमय बनाएं तथा मानव जाति का अगला जीवन सुखी बनाएं।

पवित्र कुर्आन की सूरत आले इमरान की आयत नं0 185 में बताया गया, अनुवादः "प्रत्येक जीवन को मृत्यु का स्वाद चखना है तुम को तो पूरा पूरा प्रतिफल कियामत में दिया जाएगा, पस जो (जहन्नम की) आग से बचा दिया जाएगा और जन्नत में प्रवेश पाएगा निश्चय ही वह सफल होगा, रहा यह सांसारिक जीवन तो यह केवल माया सामग्री है"।

इस आयत में स्पष्ट बताया गया कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का अन्त नहीं हो जाता अपितु अगले जीवन में इस जीवन के कर्मों का प्रतिफल मिलता है। वह प्रतिफल दो ही प्रकार का है। जहन्नम की कष्टदायक आग अथवा जन्नत का सुखमयी जीवन। पस जिसको जहन्नम की कष्टदायक आग से बचा दिया गया और सुख मयी जन्नत में प्रवेश मिल गया वह सफल हुआ, रहा यह सांसारिक जीवन तो यहाँ के भोग विलास से धोखा न खायें यह तो केवल माया सामग्री है। अब प्रश्न उठता है कि किन लोगों को जहन्नम से छुटकारा मिलेगा और किन को जन्नत में प्रवेश मिलेगा तो यह बात पवित्र कुर्आन में अनेक बार वर्णित हुई है हम केवल तीसवें पारे की सूरत अन्नाज़िआत से प्रस्तुत करते हैं, अनुवादः "जिसने सरकशी की अर्थात तामस मन के पीछे चला और पारलौकिक (आखिरत के) जीवन को भुला कर सांसारिक

जीवन को प्राथमिकता दी उस का ठिकाना जहन्नम है। और जो अपने रब के सामने खड़े होने और अपने लेखा जोखा से डरा और अपने तामस मन को बुरी इच्छाओं और बुरे कर्मों से रोका उस का ठिकाना जन्नत है।

(आयत 37–41)

यही बयान सूरतुल अंबिया की आयत नं0 35 में इस प्रकार है: अनुवादः "हर जीव को मौत का मज़ा चखना है, ऐ लोग़ो हम तुम को इस संसार में बुराई और भलाई की परिस्थितियों में जांचेंगे फिर तुम को हमारी ही ओर आना है"।

यह आयत भी स्पष्ट बताती है कि मरने के पश्चात आत्मा का अन्त नहीं हो जाता अपितु आत्मा को सांसारिक जीवन उसकी परीक्षा हेतु दिया जाता है। अन्ततः उसको पारलौकिक जीवन की ओर लौटना है। फिर यही बयान पवित्र कुर्आन की सुरतुल अन्कबूत में इस प्रकार आया है। अर्थात

"प्रत्येक जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है फिर उसे हमारी ओर (उक्बा के जीवन की ओर) लौटना है। (आयतः 57)

जो लोग ईमान लाये और इस सांसारिक जीवन में भले काम किये हम उनको जन्नत में ऊँचा स्थान देंगे ज़िनके नीचे स्वच्छ पानी की नहरें बह रहीं होगीं वह उसमें सदैव रहेंगे कितना अच्छा बदला होगा उन भले काम करने वालों का उन लोगों ने इस संसार में आने वाली आपत्तियों पर धैर्य से काम लिया और सत्य मार्ग पर जमे रहे तथा अपने रब पर भरोसा करते रहे।

(अल अनकबूतः 57–59)

इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार यह सांसारिक जीवन अस्थाई है, इसके पश्चात कब्र का लम्बा बरज़ख़ी जीवन है, फिर कियामत आयेगी, सूर फूंका जाएगा उसकी आवाज़ इतनी कठोर और तेज़ होगी कि उस आवाज से सब जीवधारी मृत्यु को प्राप्त होंगे, सूर्य प्रकाश रहित हो जाएगा, तारे टूट कर गिर जायेंगे, आकाश फट जाएगा पहाड़ उड़ते फिरेंगे, बड़ी कठिन परिस्थति होगी फिर सब मिटा दिया जायेगा, केवल अल्लाह रहेगा या जिसे वह चाहेगा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा उससे सब फिर जी उठेंगे और एक मैदान (हश्र का मैदान) में सब एकत्र होंगे।

सूर्य अपनी पूरी आन शान के साथ प्रकाश तथा सख्त गर्मी दे रहा होगा। बड़ा ही कठोर दिन होगा जिस के विस्तार के लिए कई पृष्ठ चाहिए, लोगों के कर्मों का लेखा जोखा होगा, जिन लोगों ने अच्छे काम किये होंगे और अपने नबी का अनुकरण किया होगा, उनके लिय जन्नत में प्रवेश का निर्णय होगा तथा जिन लोगों ने अपने समय के नबी की अवज्ञा की होगी उनको जहन्नम की सज़ा दी जाएगी, यह जन्नत का सुख तथा जहन्नम का दुख सदैव के लिए होगा।

इस्लाम कहता है कि सांसारिक जीवन निः संदेह अस्थाई है परन्तु इस्लाम यह नहीं कहता कि इस जीवन

के स्वाद से वंचित हो जाओ, सन्यासी हो जाओ ''लारूहबानीयत फिल इस्लाम'' इस्लाम में रूह बानीयत (सन्यास) नहीं है अच्छा खाओ अच्छा पहनो परन्तु अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन मत करो, खूब कमाओ, खूब धन पैदा करो परन्तु वैध विधियों से, फिर उस धन में जो निर्धन भाइयों का हक़ है उसे अदा करो, अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाओ परन्तु उस स्वास्थ्य का हक अदा करो। जन सेवा तथा उपास्नाओं में कोताही न करो। दूसरों की विशेष कर बे सहारा लोगों की मदद करने में कमी मत करो।

इस्लाम उन्नति तथा विकास से नहीं रोकता अलबत्ता बेजा हिर्स, लालच और कंजूसी से रोकता है, इस्लाम जुहद (वैराग्य) की शिक्षा ज़रूर देता है परन्तु अपनी ज़ात के लिए दूसरों की सेवा के लिए धन उपार्जन से नहीं रोकता इस्लाम के आरम्भिक काल में भी बड़े बड़े धनवान हुए हैं जैसे हज़रत उस्मान ग़नी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ि0 अन्हुमा परन्तु उनका धन जन सेवा के लिए था निर्धन लोग भी जन सेवा के लिए मज़दूरी मेहनत कर के धन कमाते थे एक बार नबी सल्ल0 ने सहाबा से अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए भाषण दिया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ चार हज़ार दिरहम लाये और कहा मेरे पास इस वक़्त आठ हजार दिरहम थे मैं आधी रक़म अल्लाह की राह में देने के लिए लाया हूं, दूसरे सहाबा भी जिससे जो हो सका लाया हज़रत आसिम रज़ि0 चार सेर जौ लेकर आये और कहा मैंने मज़दूरी कर के आठ सेर जौ कमाए थे उनमें से चार सेर अल्लाह की राह में देने के लिए लाया हूं, इस से मालूम हुआ कि निर्धन मुसलमान भी मज़दूरी कर के अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे इस घटना का इशारा सूरतुत्तौबा की आयत नं0 79 में मिलता है इन गुणों के मुसलमान जिस समाज में रहेंगे वह समाज कैसा शान्तिमय होगा। ◆◇◆

कर ले भले तू काम यां

—इदारा

तु चल रहा जिस ओर है
वह है दिशा श्मशान की
तू तक रहा जिस ओर है
वह है दिशा संसार की
तू चल रहा किस ओर है
और तक रहा किस ओर है
चिन्ता कभी क्या तू ने की
इस चाल के परिणाम की
कर ले भले तू काम यां
आएंगे तेरे काम वां
पश्चात इस देहान्त के
स्थाई रहना है जहाँ

❖❖❖

नमाज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीक़ा

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 —अनुवाद मु0 हसन अंसारी

सुन्नत व नवाफ़िल में बारह रकअतों का (सफर के अलावा) क़याम की हालत में आप हमेशा एहतमाम फ़रमाते थे, जुहर से पहले चार रकअत, और दो रकअत जुहर के बाद, और मग़रिब के बाद दो रकअत, और इशा के बाद दो रकअ़त, और फ़ज्र से पहले दो रकअ़तें। आप इन सुन्नतों को अक्सर अपने घर में पढ़ा करते थे और क़याम की हालत में कभी इनको तर्क नहीं फ़रमाते थे। आप का तरीक़ा यह था कि किसी काम को शुरु करते तो इसको मामूल बना लेते। इन सुन्नतों में सबसे अहम सुन्नत फ़ज्र की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 नवाफ़िल व सुनन में किसी नमाज़ का इतना एहतमाम नहीं फरमाते थे, जितना फ़ज्र की इस दो रकअत का। आप का मामूल था कि नवाफ़िल व सुन्नतें घर पर अदा फ़रमाते थे, और वित्र का सफ़र व हज़र में एहतमाम फ़रमाते थे। फ़ज्र की सुन्नत अदा फरमा कर आप दाहिनी करवट आराम फ़रमाते। जमाअत के बारे में आप का इरशाद है कि "जमाअत की नमाज़ तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज़ पर सत्ताईस दर्जा फ़ौक़ियत रखती है।" हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 बयान करते हैं कि "हमने अपने आपको इस हाल में देखा है कि (जमाअत से) पीछे रहने वाला वही मुनाफ़िक़ होता था जिसका निफ़ाक़ खुला हुआ हो (वरना जमाअत में) वह आदमी भी लाया जाता था, जिसको दो शख़्स पकड़ कर लायें और सफ़ में खड़ा कर दें।"

(मुस्लिम शरीफ़)

अल्लाह के रसूल सल्ल0 सफ़र व हज़र में कभी तहज्जुद तर्क नहीं फ़रमाते थे और अगर कभी नींद ग़ालिब आ जाये या तकलीफ़ की वजह से न पढ़ सके तो दिन में बारह रकअतें पढ़ लेते थे। रात में आप (वित्र के साथ) ग्यारह या तेरह रकअतें पढ़ते। तहज्जुद और वित्र का मामूल मुख़्तलिफ़ रहा है। वित्र में कुनूत भी पढ़ते थे। रात को क़रअत कभी सिर्री (धीमे स्वर में पढ़ना) फ़रमाते कभी जहरी (ऊँचे स्वर में पढ़ना)। कभी तवील रकअतें पढ़ते कभी मुख़्तसर। और ज़ियादातर आख़री रात में वित्र पढ़ते थे। रात दिन में किसी वक़्त भी सफ़र की हालत में सवारी पर चाहे किधर ही उसका रुख़ हो नफ़िल पढ़ लेते। रुकू व सज्दा इशारा से फ़रमाते थे।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 और सहाबाकिराम रज़ि0 किसी बड़ी नेमत के मिलने या बड़ी मुसीबत के टल जाने पर सज्दये शुक्र बजा लाते थे, और कुर्आन में अगर आयत सज्दा तिलावत फ़रमाते या सुनते तो अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा में चले जाते।

जुमा की बड़ी ताज़ीम फ़रमाते व एहतिराम फ़रमाते और इस में कुछ ऐसी इबादतें फ़रमाते जो और दिनों में न फ़रमाते। जुमा के गुस्ल, इत्र लगाने और नमाज़ के लिए जल्दी जाने को आप ने मसनून करार दिया है। जुमा के दिन आप सूरः क़हफ़ की तिलावत का एहतमाम फ़रमाते थे। जहां तक हो सकता अच्छे कपड़े पहनते थे। इमाम अहमद रह0 हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि0 के हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना कि, "जुमा के दिन गुस्ल करे और इत्र–अगर उसके पास हो लगाये। और जहां तक हो सके अच्छे कपड़े पहने फिर सुकून के साथ मस्जिद जाये। फिर अगर चाहे तो नवाफ़िल पढ़े, और किसी को तकलीफ़ न दे। और फिर जब इमाम मेम्बर पर आ जाये उस वक़्त तक से नमाज़ को ख़त्म तक ख़ामोश रहे। और ध्यान से ख़ुतबा सुने। अगर ऐसा करेगा तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक गुनाहों के लिए यह कफ़्फ़ारा होगा" जुमा के दिन एक क़बूलियत की घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान बन्दा इस को इस हाल में पा ले कि वह खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा हो और अल्लाह से सवाल कर रहा हो तो अल्लाह तआला उस को ज़रूर इनायत फ़रमायेगा।" इस वक़्त के बारे में उलमा का इख़्तेलाफ़ है। इमाम अहमद और जमहूर सहाबा व ताबईन का क़ौल है कि वह अस्र के बाद की एक साअत है।

आप जुमा में ख़ुतबा मुख़्तसर देते और नमाज़ तवील पढ़ते थे, और ज़िक्र की कसरत करते थे। ख़ुतबा में सहाबाकिराम को इस्लाम के उसूल व क़वायद और अहकाम की तालीम देते। और ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ से रोकते किसी चीज़ का हुक्म देते। हाथ में तलवार वग़ैरह नहीं लेते थे। हां मेम्बर बनने से पहले कमान या असा पर टेक लगाते थे। खड़े हो कर ख़ुतबा देते, फिर थोड़ी देर के लिए बैठते, फिर खड़े हो कर दूसरा ख़ुतबा देते थे। फ़ारिग़ होते ही हज़रत बेलाल रज़ि0 इक़ामत शुरु कर देते थे।

ईद और बक़रीद की नमाज़ें ईदगाह में पढ़ते थे, सिर्फ़ एक बार बारिश की वजह से अपनी मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा फ़रमाई। ईदैन के दिन ख़ूबसूरत पोशाक पहनते थे। ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले ताक अदद खजूरें नोश फ़रमाते। ईदैन के लिए गुस्ल फ़रमाते थे और ईदगाह पहुंचते ही अज़ान व इक़ामत के बगैर नमाज़ शुरु फरमा देते। ईदगाह में आप और आपके सहाबाकिराम न नमाज़ ईद से पहले कोई नमाज़ पढ़ते, और न नमाज़ ईद के बाद दोगाना ख़ुतबा से पहले ईद अदा करते और तकबीरात में इज़ाफ़ा फ़रमाते। जब नमाज़ पूरी कर लेते तो लोगों की तरफ़ रुख़ करके खड़े हो जाते, इस हाल में कि लोग बैठे होते और फिर वाज़ व नसीहत फ़रमाते। कोई हुक्म देना होता तो हुक्म देते।

किसी बात से रोकना होता तो रोकते, कोई वफ़द या लशकर भेजना होता तो भेजते, या जैसी ज़रूरत होती वैसा करते। फिर औरतों के पास आ कर उनको वाज़ व नसीहत फ़रमाते। औरतें कसरत से सदक़ात व ख़ैरात करतीं। ईद व बक़रीद के ख़ुतबों में कसरत से तकबीर के अल्फ़ाज़ दोहराते। ईद के दिन एक रास्ते से आते और दूसरे रास्ते से जाते।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने सूरजग्रहन की नमाज़ भी पढ़ी है। और इस मौक़े पर बड़ा ताक़तवर ख़ुतबा भी दिया है। यह नमाज़ सिर्फ़ एक बार हज़रत इब्राहीम रज़ि0 की वफ़ात के मौक़े पर आप ने अदा फ़रमाई और ग़लत ख़यालात की एक एलान कर के तरदीद फ़रमाई:—

तर्जुमाः *"सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में दो निशानियां हैं, किसी की मौत व हयात की वजह से इनमें गहन नहीं लगता जब तुम ऐसा देखो तो अल्लाह से दुआ करो, उसकी अज़मत बयान करो, नमाज़ पढ़ो, सदक़ा ख़ैरात करो।"*

नमाज़े इस्तिस्का भी मुख़तलिफ़ तरीक़ों से आप से साबित है।

जनाज़ा के सिलसिले में आप का तरीक़ा व सुन्नत तमाम क़ौमों के तरीक़ों से अलग था। नमाज़ जनाज़ा दो चीज़ों की जामे होती। खुदा की इबादत और बन्दगी का खुला हुआ इक़रार और मैय्यत के लिए दुआ व इस्तेगफ़ार और उसके साथ बेहतरीन तअल्लुक का इज़हार। आप और तमाम मुसलमान सफ़ें बांध कर खड़े हो जाते, खुदा की हम्द व सना बयान करते और मैय्यत के लिए दुआ व इस्तेग़फ़ार करते। नमाज़ जनाज़ा का असल मक़सद ही मैय्यत के लिए दुआ है जब क़ब्रस्तान तशरीफ़ ले जाते तो मुर्दों के लिए दुआ व इस्तेग़फ़ार और उनके हक़ में खुदा की रहमत की दुआ करते। सहाबाकिराम को क़ब्रों की ज़ियारत के वक़्त कहने की वसीयत फ़रमाते।

"तुम पर सलामती हो ऐ क़ब्रस्तान के मोमिनों और मुसलमानों। हम भी इंशा अल्लाह तुम से मिलने वाले हैं, हम खुदा तआला से अपने और तुम्हारे लिए आफ़ियत के तालिब हैं। ◆◇◆

अनुरोध

आदरणीय लेखकों से अनुरोध है कि वह अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हों जो पाठकों की समझ में आसानी से आ सकें, लिखावट स्पष्ट हो ताकि कम्पोजिंग में आसानी हो।

कृपया जो लेखक आलिम न हों वह क़ुर्आन, हदीस तथा फिक्ह के विषय आलिमों के लिए छोड़ दें इसी प्रकार विश्वास संबंधित विषय भी आलिमों के लिए छोड़ रखें, आलिम से तात्पर्य अरबी भाषा तथा तफ्सीर, हदीस और फिक्ह की जानकारी रखने वाला है चाहे वह किसी दीनी इदारे की सनद न रखता हो और आलिम विद्वान सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषय आदि पर लिख कर धन्यवाद का अवसर दें।

इदारा

माली इदारों को सूद से पाक करने की जरूरत

(वित्तीय संस्थाओं को ब्याज से स्वच्छ करने की आवश्यकता)

—हजरत मौ0 सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—हिन्दी इम्ला हुसैन अहमद

आधुनिक काल के सेक्लुरिज्म, लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं पश्चिम के दिए हुए विभिन्न विचारों तथा प्रवृत्तियों की छांव में जो राजनीतिक तथा आधुनिक व्यवस्थाएं बनी हैं वह सब की सब बे खुदा (ईशरहित) बे आखिरत (अगला जीवन रहित) फलसफे (दर्शन) में डूबी हुई हैं वह सब की सब इस्लामिक विचारों से टकराती हैं इस्लाम जिस को पश्चिमी सभ्यता ने पुरातन कल्पनाओं का मज़हब समझ लिया है और वह उस को तोड़ने पर तत्पर अपितु सचेष्ट है परन्तु इस्लाम एक व्यापाक तथा सम्पूर्ण जीवन नियम है अतः यह पश्चिमी कल्पनाओं तथा विचारों का साथ नहीं दे सकता इसलिए कि पश्चिम जीवन दर्शन, धार्मिक घृणा के साथ साथ खुली स्वतंत्रता पर विश्वास रखने वाला और सांसारिक लाभों को अपना उद्देश्य बनाने वाला जीवन दर्शन है अतएव पश्चिम की माली व्यवस्थाओं में धार्मिक घृणा और सांसारिक लाभ की इच्छा ने ब्याज तथा जुआ को जीवन का एक भाग बना दिया है आर्थिक व्यवस्था को किसी भी लेन देन से गुजरना पड़े तो ब्याज के ताने बाने से बच नहीं सकता और पश्चिम की दी हुई बैंकिंग व्यवस्था वास्तव में ब्याज को बढ़ावा देने का प्रभावकारी साधन है और उस को पश्चिमी सभ्यता ने एक मानवीय आवश्यकता बना दिया है चाहे उससे सोसाइटी के लोगों का कितना ही शोषण हो रहा हो और क़ौम की मौलिक अर्थव्यवस्था को कितनी ही हानि पहुंच रही हो।

मानवीय इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ब्याज खाने की प्रथा जड़ता में व्यस्त, धर्म कुरूद्ध इच्छापूजकों से आरम्भ हुई है उस के प्रतिकूल समस्त आकाशित धर्मों (आसमानी मजाहिब) में ब्याज खाने को वर्जित बताया गया है मसीही तथा यहूदी धर्मों में ब्याज के वर्जित होने के आदेश थे जिन को उनके विद्वान लोगों को बताते और उस से बचने की ताकीद करते थे इस लिए कि इंजील तथा तौरेत में ब्याज को वर्जित बताया गया है तौरेत में है कि "अगर मेरी उम्मत के किसी व्यक्ति को कुछ माल कर्ज दो तो उस पर कर्ज देने वाले की तरह मुसल्लत न हो जाओ, उस से अपने माल में मनफअत (लाभ) न तलब करो" इसी तरह बाइबिल में आया है कि "अगर तुम ने ऐसे लोगों को कर्ज दिया जिन से तुम बदला चाहते हो तो तुम्हारी क्या बरतरी हुई कर्ज़ा देने में उससे फाइदे के मुतवक्के (प्रत्यज्ञित) न हो जब ही तुम को अच्छा सवाब मिलेगा"

कुछ समय तक यूरोप के ईसाईयों में यही मत रहा अर्थात ब्याज वर्जित रहा परन्तु समय बीतने के साथ साथ ब्याज की बुराई कम होती गई, यहां तक की फ्रांसीसी परिवर्तन ने ब्याज के वर्जन का अन्त कर दिया और उसकी

जनरल कौन्सिल ने एक विधान बना कर ब्याज का लेन देन सब के लिए वैध कर दिया फिर यूरोप में अपनी धार्मिक अप्रियता तथा धन के लालच में ब्याज की लानत को अपने आर्थिक जीवन का भाग बना लिया और जहां जहां उस ने अपनी सभ्यता पहुंचाई वहां वहां उस ने ब्याज के फिटकार को सार्वजनिक कर दिया और जीवन के हर विभाग से उस को जोड़ दिया और ब्याज यूरोप के आर्थिक ढांचे की रग रग में प्रवेश कर गया। ब्याज को प्रचलित करने तथा रवाज देने में यहूदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। निष्पक्ष अध्ययन से सिद्ध होता है कि ब्याज का लेन देन केवल धार्मिक दृष्टिकोण ही से बुरा नहीं है अपितु सांसारिक दृष्टिकोण से भी कोई भला कार्य नहीं है वक्ती तौर पर सूदी कर्ज लेने वाले को अपनी कठिनाईयों का समाधान नजर आता है और कर्ज देने वाले को अपनी आय का सरल साधन मालूम होता है परन्तु ब्याज खाने वाला समाज अपनी आर्थिक दशा में अन्दर अन्दर खोखला होता जा रहा है। अतएव इस समय संसार के अनेक देश आर्थिक दशा में इसलिए खोखले होते जा रहे हैं कि उन्होंने ब्याज वाले कर्जों से अपने का दबा रखा है अर्थात ब्याज वाले बहुत से कर्ज ले रखे हैं अतः सामयिक विकासों के होते हुए उन के लिए आर्थिक समृद्धि सामायिक चमक के सिवा कुछ नहीं, अमरीका जैसे महान समृद्ध देश के अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वहां की लगातार आर्थिक गिरावट से व्याकुलता प्रकट कर रहे हैं यह सुपर पावर देश ब्याज के बोझ तले दबा हुआ है ब्याजू कर्ज लेने वाले देश ब्याज के बोझ से बोखलाये हुए हैं स्वयं हमारा भारत देश अपने बजट का एक बड़ा भाग ब्याज चुकाने में खर्च करता है जिस में हर वर्ष बढोत्तरी होती जा रही है और देश की आय का एक भाग केवल ब्याज चुकाने में खर्च होता है।

इस्लाम में ब्याज को कठोरता के साथ वर्जित बताया गया है ब्याज खाने की बुराई पवित्र कुर्आन में चार स्थानों पर आई है आरम्भ में सू–रए–रूम में यूं बताया गया है अनुवादः "तुम जो कुछ ब्याज पर देते हो, ताकि वह लोगों के मालों में सम्मिलित हो कर बढ़ जाए, तो वह अल्लाह के यहां नही बढ़ता। किन्तु जो ज़कात तुम ने अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दी, तो ऐसे ही लोग (अल्लाह के यहां) अपने माल बढ़ाते हैं"। (आयतः 39)

इस आयत द्वारा भौतिक लाभ की प्रियता अल्लाह तआला के यहां अप्रिय होना तथा विकास रहित बताया गया है इसके प्रतिकूल अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए ज़कात देने को लाभ बताया गया है और भौतिक लाभ के लालच की निन्दा की गई है तथा अल्लाह के मार्ग में खर्च कर के अल्लाह को प्रसन्न करने की रुचि पैदा की गई है दूसरे स्थान पर सू–रए–निसा की आयत में इस प्रकार बयान आया है, अनुवादः सारांश यह है कि यहूदियों के अत्याचार के कारण हम ने बहुत सी अच्छी पाक चीजें उन पर हराम कर दीं, जो उन के लिए हलाल थीं और उनके प्रायः अल्लाह के मार्ग से रोकने के कारण और उन के ब्याज लेने के कारण,

जब कि उन्हें इससे रोका गया था। और उन के अवैध रूप से लोगों के माल खाने के कारण ऐसा किया गया और हम ने उन में से जिन लोगों ने इनकार किया उन के लिए दुखद यातना तैयार कर रखी है"। आयतः160–161)

इस बयान से ब्याज की बुराई कठोरता के साथ दिमागों में बिठाई गई फिर सू–रए–आल इमरान की आयत उतरी जिस का अनुवाद इस प्रकार है "ऐ ईमान लाने वालो! बढ़ चढ़ कर ब्याज मत खाओ। और अल्लाह तआला से डरो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो"। (आयतः130) इस आयत में ब्याज लेने और खाने से रोका गया है फिर उस की अधिक बुराई उस आयत से स्पष्ट की गई है जो सू–रए–बकरा का भाग है जिस का अनुवाद इस प्रकार है "जो लोग ब्याज खाते हैं वह (कियामत में) इस तरह उठेंगे जैसे वह व्यक्ति उठता है, जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो और यह इसलिए कि उन का कहना है "व्यापार भी तो ब्याज के सदृष्य है" जब कि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है"। (आयतः 275) फिर दो आयतों के बाद फरमाया "ऐ ईमान लाने वालो! अल्लाह से डरो और जो कुछ ब्याज बाक़ी रह गयी है उसे छोड़ दो यदि तुम ईमान वाले हो। फिर यदि तुम ने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यदि तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है, न तुम अन्याय करो और न तुम्हारे साथ अन्याय किया जाए, और यदि कोई तंगी में हो तो तंगी दूर कर दो, (अर्थात मूल धन भी न लो) तो यह तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है यदि तुम जान सको, और उस दिन से डरो जब कि तुम अल्लाह की ओर लौटोगे, फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उस ने कमाया पूरा–पूरा मिल जाएगा और उनके साथ कदापि कोई अन्याय न होगा"।

(अलबकरः 278–281

ब्याज खाने वाले का विचार यह है कि व्यापार का लाभ और ब्याज का लाभ दोनों एक समान हैं यही वह कल्पना है जिस में आधुनिक नागरिकता में व्यापार और ब्याज के लेन देन को समान कर दिया है और व्यापार तथा ब्याज के लेन देन में कोई अन्तर नहीं रखा परन्तु इस्लाम ने इसके विरुद्ध स्पष्ट रूप से जो उत्तर दिया है उस में अल्लाह तआला के निर्णय को आधार बनाया है अर्थात अल्लाह तआला जिस को अच्छा कहे वह अच्छा है और जिस को वह बुरा कहे वह बुरा है, उसी ने इन्सानों को पैदा किया है और वही इन्सानों के लिए लाभदायक तथा हानिकारक वस्तुओं को भलीभांति जानता है, वह जिस बात से रोकता है वह मनुष्य के लिए हानिकारक ही होती है फिर वह सब का निर्माता है अतः उसके आदेशों को मानना आवश्यक है अतः उसने ब्याज के विषय में फरमाया "अल्लाह ने व्यापार को वैध तथा ब्याज को वर्जित किया"।

ब्याज यहूदी धर्म में वर्जित किया गया फिर ईसाई धर्म में भी वर्जित ठहराया गया, इसी प्रकार यूरोप और अमरीका में जहां

शेष पृष्ठ.....31 पर

अस्री मसाइल और सीरते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

—मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी

—हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत दर अस्ल तमाम मुसलमानों के लिए रौशनी का बुलन्द और अज़ीमुश्शान मीनार है, जिस के ज़रीये वह जाहिलीयत, गफ़लत और गुमराही की तारीकियों के माहौल से रुश्द व हिदायत और इज़्ज़त व सरफराजी के वसीअ़ मैदान में पहुंच सकते हैं और एक कुशादा शाह राह पर गामज़न हो सकते हैं, आज भी अगर मुसलमान कमजोरी, बेबसी और गुलामी के अस्बाब तलाश करें और अपनी जिल्लत व मस्कनत, और रुसवाई नीज़ बांहमी अदम तआ़वुन और पसमांदगी का राज़ मालूम करना चाहें तो इन तमाम चीजों का बुन्यादी सबब और अस्ल राज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काइम करदा निशाने राह से इन्हिराफ़ इख्तियार करने में मुज़मर नज़र आएगा, जिसे आप वाज़ेह और ताबनाक बना कर इस दारे फानी से रुख्सत हुए थे, मुसलमान आज भी अपनी और अपनी मिल्लत की कमजोरी के अस्बाब तलाश कर सकता है, वह अगर ब नज़रे ग़ाइर उस का जाइजा ले तो उस को यह कम्जोरियां अपने किरदार, अपनी सीरत और तर्जे जिन्दगी में महसूस तौर पर नज़र आएंगी, जो उस के नज़दीक पसन्दीदा और महबूब हैं और उन को अस्लुल उसूल की हैसीयत से अपनाए हुए हैं, यह तर्जे हयात और रविश सीरते नबवी से मुख्तलिफ़ और बसा औकात मुतआ़रिज़ व मुतज़ाद भी है, इस किरदार का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के किरदार से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं, वह किरदारे नुबूवत जिस का ख़ाका आप ने क़ौली व अ़मली हैसीयत से अपनी जिन्दगी में पेश किया है।

क्या नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने संजीदा और ठोस लहजे में बा बांगे दुहुल यह एलान नहीं फरमा दिया "तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक हक़ीकी और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उस की तमाम ख़्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाएं" एक दूसरे मौके पर आप का इरशादे गिरामी है "तुम में से कोई भी मोमिन कामिल करार नहीं दिया जाएगा, जब तक वह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसन्द न करने लगे जो अपने लिए पसन्द करता है" इन दोनों हदीसों में गौर व फिक्र करने से मुन्दर्जा ज़ेल सवालों का तसल्ली बख़्श जवाब मिलता है।

हम ईमान व यकीन के एतिबार से क्यों कमजोर हैं? जब कि हमारे दुश्मन हर एतिबार से ताकतवर हैं।

हम जवाल व इन्हितात और पसमांदगी का शिकार क्यों हैं? जब कि दूसरे हम से ज़ियादा तरक्की याफ्ता और कारजारे हयात में पेश रफ़्त हैं।

हम नुसरत व ताईदे खुदावन्दी से क्यों महरूम हैं?

हम ला यानी और अपनी शान से फरोतर चीजों में क्यों मसरुफ हैं?

हम बा हम दस्त व गरीबां क्यों हैं? जब कि दुशमनाने इस्लाम महब्बत व उलफत और तआवुने बाहम के उसूल पर अमल पैरा हैं।

यह और इस तरह के बे शुमार सवालात का इन्तिहाई बेहतर और इतमीनान बख़्श जवाब मजकूरा दोनों हदीसों में मौजूद है।

क्या ऐसा नहीं है कि मुसलमान हवा परस्ती में मशगूल, ख्वाहिशातें नफ्स के सामने सरनिगूं हैं, और वह इस हकीकत को या तो यकसर भूल गए हैं, या निस्यान का मुजाहरा कर रहे हैं, "कि ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता, जब तक दीने मुहम्मदी और पैग़ामे खुदावन्दी की मुकम्मल पैरवी न करने लगे" बई मअ़ना कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात पैदा हो जाएं, दुन्या के अरजां माल व मताअ़ और ख्वाहिशाते नफ़्स, जरूरियाते जिन्दगी से दीन के मुकाबले में यकसर नजरें फेर लें, हवा व हवस से मगलूब न हों, उनके दिलों तक पहुंचने का शैतान को कोई मौका न मिले, उनके सीनों में अग़राज़ और मफ़ाद परस्ती का कोई गुज़र न हो, इस लिए कि वह मुत्तबेईने रसूल हैं न कि ख्वहिश व नफ्सानीयत के इताअ़त गुज़ार और अगराज और ख्वाहिशे नफ़्स के गुलाम।

लेकिन मुसलमान अपनी कदीम रविश पर बाकी न रहे, जो पाक नीयती, पाक बाजी, एहतियात, तक़्वा, खुदा और रसूले खुदा से सच्ची महब्बत, ईमाने कामिल, और हकीकते ईसार व कुर्बानी से इबारत है, बल्कि हक बात यह है कि बनीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो सीरत पेश की, और जिसके जरीये लोगों को हलाकत व बरबादी के गडढे से (जिस की तरफ बड़ी बेताबी और बर्क़ रफ़्तारी से बढ़ रहे थे) निकाल कर रौशनी के कुशादा व पुर अम्न रास्ते पर खड़ा किया, मुसलमानों ने उस सीरत से बेएतिनाई बरती और गैरों ने उसके बड़े हिस्से को किसी दूसरे उनवान से अपनी तवज्जुह का मरकज़ बनाया।

मुसलमानों की जिल्लत व रुस्वाई, शिकस्तगी और बुलन्दी के बजाए पस्ती, मताए इज्ज व शरफ के बजाए अस्बाबे शकावत, बे बहा दौलते इस्लाम के बदले हकीर और मामूली चीजों को इख्तियार कर लेने की इस से बढ़ कर और क्या दलील हो सकती है?

क्या मुसलमान अपनी तमाम ख्वाहिशात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाए हुए दीन के ताबे किए बगैर इज़्ज़त व सर बलन्दी और सुरखुरुई हासिल करना चाहते हैं? क्या वह जज़्–बए–ईसार व कुर्बानी के बगैर कौमों में कबूले आम हासिल करने की आरजू रखते हैं? क्या वह फ़त्ह़ व नुसरत की तवक्कुअ़ (तवक्को) रखते हैं, जब कि दुशमनाने इस्लाम की हाशिया

बरदारी में मशगूल और जुल्म व जियादती करने वालों की हम नवाई में मसरूफ हैं? क्या वह रहमते इलाही के मुस्तहिक़ हो सकते हैं जब कि वह गैरों के लुत्फ़ व करम की उम्मीद में सरापा इन्तिजार बने हुए बैठे हैं?

क्या मुसलमान जिन्दगी के मुख़्तलिफ़ शोबों में इस्लामी तालीमात को अज सरे नौ नाफिज़ नहीं करेंगे? क्या वह किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फिर से अपने सीने से लगा कर अपना रहनुमा व मुक्तदा और तारीक जिन्दगी के लिए शमए हिदायत करार दे कर अपनी पूरी जिन्दगी और सारे मुआशरे में उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे?

हक़ीक़त यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरते तय्यिबा बिला कम व कास्त अपनी पूरी जामईत व कमाल के साथ हमारी निगाहों के सामने है, लिहाजा उस का अज सरे नौ और बा अन्दाज़े नौ मुताला करना जरूरी है, और उस की रौशनी में जिन्दगी गुजारने का शौक इन्तिहाई लाजमी अम्र है।

सहा–बए–किराम रज़ि0 और ताबेईने इजाम रह0 की पूरी जिन्दगी मुकम्मल तौर पर हमारे सामने है, जिन्होंने सीरते नबवी को हिर्ज़े जां बनाया और हर हाल में उसकी पैरवी की, हमें उनकी जिन्दगियों में ग़ौर व फिक्र की ज़रूरत है, ताकि उस ज़ख़ी–रए–नायाब में कोई जौहरे आब दार हम को दस्तयाब हो जाए और हमारी जिन्दगी का नक्शा यक्सर बदल जाए और तारीख का रुख यक लख्त मुड़ जाए और वह एक नई इस्लामी तारीख के आगाज़ का पेश खेमा साबित हो।

जरा सुनो! नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस कदर पुरजोर व पुरशोर अन्दाज से खिताब फरमां हैं और हमें एक उसूल की तलकीन फरमा रहे हैं, अनुवाद "ऐ लोगो! मेरी सुन्नत, और तौफ़ीक़ याफ़्ता खुलफाए राशदीन के तरी–कए–हयात को सीने से लगा लो, और उस पर मज़बूती से कारबन्द हो जाओ"।

कठिन शब्दों के अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
रुश्द	सत्य मार्ग	हिदायत	सत्य मार्ग
सरफराजी	प्रतिष्ठा	शाह राह	राज मार्ग
गामज़न	चलने वाला	मसकनत	दरिद्रता
पसमान्दगी	पिछड़ापन	बुन्यादी	मौलिक
काइम करदा	स्थापित	निशाने राह	मार्ग चिन्ह

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
इन्हिराफ़	विमुखता	मुज़मर	छुपा हुआ
ताबनाक	प्रज्वलित	दारे फानी	संसार
मिल्लत	मुस्लिम समुदाय	ब नजरे ग़ाइर	गहरी नजर से
जाइज़ा	अवलोकन	तरजे जिन्दगी	जीवन प्रणाली
अस्लुल उसूल	मूल्य सिद्धान्त	तरजे हयात	जीवन शैली
रविश	गतिविधी	मुतआरिज	विपरीत
मुताज़ाद	प्रतिकूल	कौली	कथनीय
अमली	व्यावहारिक	संजीदा	गंभीर
ब–बांगे दुहुल	डंके की चोट	बांग	ध्वनि
दुहुल	ढोल	ताबेअ़	अधीन
तसल्ली बख्श	संतोष जनक	ज़वाल	पतन
इन्हितात	पतन	कार जारे हयात	जीवन की दौड़
कार जार	युद्ध	पेश रफ़्त	आगे बढ़ना
नुसरत	मदद	ताईद	सहयोग, मदद
ला यानी	व्यर्थ	फरोतर	घटिया, हीन
मसरुफ़	व्यस्त	दस्त व गरेबां	झगड़ना
दस्त	हाथ	गरेबान	गला
हवा परस्ती	विलासता	ख्वाहिशाते नफ़्स	मन की इच्छाएं
सरनिगूं	झुका हुआ	यक्सर	पूर्णतः
मुज़ाहरह	प्रदर्शन	निस्यान	भूल
बईमअ़ना	इस अर्थ में	अरजां	सस्ता
मताअ़	माल, पूंजी	हवा	लालच
मग़लूब	पराजित	अगराज़	उद्देश्य

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
मफ़ाद परस्ती	लाभ प्रियता	मुत्तबेईन	अनुकरण करने वाला
इताअत गुजार	आज्ञाकारी	पाक नीयती	पवित्र स्वभाव
पाक बाजी	संयम	हकीकते ईसार	उत्सर्ग की वास्तविकता
कुर्बानी	त्याग	बेताबी	व्याकुलता
बर्क रफ़्तारी	विद्युत गति	बे एतिनाई	उपेक्षा, अवहेलना
शिकस्तगी	हार, पराजय	इज़्ज़	मर्यादा, सम्मान
शरफ	बड़ाई, प्रतिष्ठा	अस्बाबे शकावत	दुष्टता के कारण
बे बहा	अमूल्य	हकीर	तुच्छ
मामूली	साधारण	दलील	तर्क
सुर्खरूई	प्रसन्न मुखता	कबूले आम	सर्व स्वीकृति
हाशिया बरदारी	चापलूसी	हम नवाई	हां में हां मिलाना
शोबों	विभागों	अजसरे नौ	आरंभ से
मुक्तदा	नेता, अनुकरणीय	तारीक़	अंधेरा
सीरते तय्यिबा	पवित्र जीवनी	जामईयत	व्यापकता
हिर्ज़े जां	अतिप्रिय	ज़खीरा	भंडार
नायाब	अप्राप्त	जौहरे आबदार	चमकीला मोती
दस्तयाब	प्राप्त	यकलख़्त	पूर्णतः
पेश खेमा	भूमिका	खिताब	सम्बोधन
तलकीन	निर्देश	तौफ़ीक़	क्षमता
कारबन्द	क्रियावान	फत्ह	जीत, विजय
दर अस्ल	वास्तव में	सहा–बए–किराम	नबी सल्ल0 के साथी
खुलाफा–ए–राशदीन	नबी सल्ल0 के स्वीकृत प्राप्त प्रतिनिधि	ताबिईने इजाम	सहाबा को देखने वाले प्रतिष्ठित मुसलमान जो सहाबा के बाद हुए

हमारा स्वभाव गैरमुस्लिमों में

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

पन्द्रहवीं सदी हिज्री के आरम्भ में बहुत से मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा चिन्तकों ने कल्पना की थी कि यह सदी इस्लाम की सदी होगी अर्थात इस सदी में मुस्लिम शक्तियां उन्नति प्राप्त करेंगी और मुसलमान उभर कर दूसरी कौमों के मुकाबले में उठेंगे और वह महान शक्तिशाली हो जाएंगे इस कल्पना के लोगों के सामने संसार में मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, जगह जगह नौजवान मुस्लिम ताकतों का जोर तथा संसार के अनेक भागों सब का ध्यान मुसलमानों पर केन्द्रित हो जाना था ऐसे लोगों ने इन बातों को मुसलमानों के भव्य भविष्य का प्रतीक जाना।

ऐसे लोगों की यह कल्पना कहां तक शुद्ध है यह तो भविष्य ही बताएगा लेकिन यह बात अनिवार्य है कि हम को मुस्लिम जगत में तथा मुस्लिम देशों में मुसलमानों की प्रतिदिन बढ़ती हुई जागरूकता का अवलोकन करते रहना चाहिए और उसमें जो भली बातें दिखें उन से साहस तथा उमंग लेते रहना चाहिए और उनमें जो लोग त्रुटि पर हैं उन के परिणामों से सीख लेना चाहिए तथा अपनी कूटनीति से उन के विकारों से सुरक्षित रहने का प्रयास करते रहना चाहिए।

मुसलमानों का सामूहिक जीवन दावत (लोगों को अल्लाह की ओर बुलाना) के कर्म और जिहाद (इस्लाम प्रसारण के लिए परिश्रम करना) के कर्म पर आधारित है इन दोनों कर्मों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र जीवनी से भरपूर पथ प्रदर्शन तथा प्रकाश मिलता है और मुसलमानों को आप की जीवनी ही से मार्ग दर्शन तथा शक्ति प्राप्त करना है अपने निजी प्रवृत्ति से नहीं, परन्तु प्रायः यह होता है कि दूसरों से जो हम को कष्ट पहुंचा और शक्तिशाली शत्रुओं से जो कष्ट हम को पहुंचे उन कष्टों ने हमारे अन्दर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी जिस का प्रकटीकरण प्रतिकार की भावना के रूप में जगह जगह हो रहा है। प्रतिकार का हर पीड़ित को अधिकार है परन्तु यदि उत्पीड़ित के अन्दर प्रतिकार की भावना पैदा हुई तो उसे विद्रोही समझ लिया जाता है जब कि उत्पीड़ित को इस्लाम की ओर से प्रतिकार का पूरा अधिकार दिया गया है लेकिन यह बात शुद्ध नहीं है कि उत्पीड़ित प्रतिकार में अत्याचारी तथा अनात्याचारी में अन्तर न करे और अत्याचार से क्रोधित हो कर अत्याचारी के उन संबन्धियों से प्रतिकार ले लिया जाए जिन्होंने अत्याचार नहीं किया फिर उत्पीड़ित के लिए इस ओर ध्यान भी देने की आवश्यकता है कि प्रतिशोध के अतिरिक्त समस्या के समाधान का कोई और लाभ दायक मार्ग है या नहीं यदि है तो उसे अपनाना चाहिए और अत्याचारी का अध्ययन

करते हुए यह समझने का प्रयास किया जाए कि अत्याचार का कारण हमारी कोई कमजोरी या कोताही तो नहीं है।

अन्तिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन का काम दावत से आरम्भ किया है और इस दावत में अल्लाह की रबूबीयत (पालनहार होना) व वहदानीयत (एकेश्वरवाद) को मनवाया और अल्लाह की उपासना की मांगों के साथ साथ मानव जाति के साथ सहानुभूति तथा उच्च आचरण को दावत का साधन बनाया यही कारण था कि लोगों को आप की दावत से मतभेद तथा उससे विरोध रखते हुए भी आप से सहानुभूति थी।

यह बात आप को अमानत (न्यास धारी) और सच्चा समझने की घटनाओं से सिद्ध होती है अबू जेहल ने एक बार अपने कठोर शब्दों से आप को कष्ट पहुंचाया तो उत्तर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी कुछ कठोर शब्द कहे तो लोग कहने लगे कि मुहम्मद साहिब! आप तो अनुचित तथा अप्रिय शब्द नहीं अपनाते थे तात्पर्य यह कि शत्रुओं ने भी आप के धैर्य वादी होने की गवाही दी।

इसके साथ ही जहां इस्लाम के शत्रुओं से लड़ने का अवसर आया तो आप इस्लाम दुशमनों से लड़े भी हैं आप के मक्के का जीवन पृथक रूप रखता है और मदनी जीवन का रूप उस से पृथक है एवं कभी कभी दोनों जीवनियों में ऐसे अवसर भी आए हैं जिस में आप का स्वभाव भिन्न हो जाता ऐसा परिस्थिति को देख कर होता था अतएव जब आप ताइफ वालों से उन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ताइफ गए परन्तु वहां सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई अपितु अमानवीय स्वभाव से आप को कष्ट पहुंचाया गया इस पर अल्लाह तआ़ला की रहमत जोश में आई और एक फरिश्ता भेजा गया उसने आप से कहा कि यदि आप आदेश दें तो ताइफ वालों को जो दो पहाड़ों के बीच में रहते हैं उन को दोनों पहाड़ों के बीच में कुचल दिया जाए। आपने दुखी होते हुए उत्तर दिया नहीं मैं यह नहीं चाहता, यह लोग इस्लाम की ओर नहीं आ रहे हैं तो आशा है कि इन की संतान इस्लाम स्वीकार करेगी और आगे चल कर ऐसा ही हुआ।

हम अगर मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है और अगर हम गैर मुस्लिमों के बीच में रह रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? उदारता किन परिस्थितियों में होना चाहिए और प्रतिकार की भावना किन अवसरों पर होना चाहिए? फिर भी देखना चाहिए कि वातावरण के बिगाड़ का कारण दुशमन का विकार है या हमारी कमी तथा कोताही और लापरवाही? इन बातों पर ध्यान देते हुए समस्या का समाधान निकालना बुद्धिमानी है।

इन बातों पर अगर हम ध्यान दें और इन का अवलोकन करें तो हिन्दोस्तान के इस देश में हमारी कोताहियों का बड़ा भाग निकलेगा हम ने इस्लाम की शिक्षाओं को स्पष्ट करने

तथा मुसलमानों के मानवता प्रेम को प्रकट करने में बड़ी कोताही की है इस का प्रमाण यह है कि कभी कभी कई दशकों तक गैर मुस्लिम पड़ोसी से आमना सामना रहा परन्तु हम अपने चरित्र से उन को यह न बता सके कि इस में गैर मुस्लिमों से भले बरताव की क्या शिक्षा है? उन को हम यह भी न बता सके कि इस्लाम का अर्थ क्या है इस के प्रतिकूल हमारी कोताही से हमारा वह पड़ोसी मुसलमानों से भयभीत रहता है इस लिए कि उसने यह सुन रखा है कि मुसलमानों के पूर्वज केवल मारधाड़ करते रहे हैं यह लोग भी कुछ वैसे ही होंगे फिर उन के नेता भी कुछ ऐसी ही घृणित बातें सुना कर मुसलमानों से घृणा रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को अपने चरित्र द्वारा यह बताएं कि इस्लाम अपने पड़ोसियों के साथ भले बरताव का आदेश देता है और बताता है कि पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम वह भूखा हो तो तुम उस को खिलाओ इसके बिना तुम को नींद न आए पड़ोसी तुम्हारी मौजूदगी में अपने घर वालों को सुरक्षित समझे पवित्र कुर्आन में स्पष्ट आया है, अनुवादः "अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ (जो ईमान नहीं लाये) अच्छा व्यवहार करो और उन के साथ न्याय करो, जिन्होंने तुम से धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निःसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसन्द करता है"। (मुम्तहिना : 8)

पवित्र कुर्आन की इस शिक्षा से स्पष्ट है कि मुसलमान उसी से लड़ता है जो उस के धर्म इस्लाम के विरोध में लड़े या उस को उसके घर से निकाले।

अतः मुसलमानों को चाहिए कि वह गैर मुस्लिम भाईयों के सामने इस्लाम का शुद्ध चित्र प्रस्तुत करें और अपने कथन तथा कर्म द्वारा उनके मनों में इस्लाम की शुद्ध कल्पना बैठाएं।

इस देश में गैर मुस्लिमों के मनों में इस्लाम की शुद्ध कल्पना बैठाने में हमारी बड़ी कोताही रही है हिन्दोस्तान जैसे देश में जहां अनेक धर्मों वाले रहते हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं गैर मुस्लिमों को जो इस्लाम और मुसलमानों के विषय में जो गलत जानकारियां हैं उन को दूर करने का प्रयास अति आवश्यक है और उनके सामने शुद्ध इस्लाम प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है यह काम दावत द्वारा बड़ी सरलता से किया जा सकता है, दावत अर्थात अल्लाह की ओर बुलाना और अल्लाह से जोड़ना हमारी विशेषता है दावत का काम तमाम कामों पर मुकद्दम और दूसरे तमाम कामों से श्रेष्ठ है प्रचलित दावत के अतिरिक्त दावत की दूसरी विधियां भी हैं जिन को अवसरानुसार एवं आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है।

इस समय परिस्थिति यह है कि एक ओर मुसलमानों में वह समस्त नैतिक बुराईयां तथा मानवीय

कमजोरियां आ गई हैं जो गैर मुस्लिमों में पाई जाती हैं और केवल जनगणना में मुसलमान लिखे जाने पर मुसलमान यह आशा किए हुए हैं कि गैर मुस्लिमों से अगर उन का हक व बातिल (सत्य तथा असत्य) का मुकाबला हुआ तो बद्र के युद्ध की भांति उनके लिए आसमानी मदद आएगी इस समय खेद जनक परिस्थिति यह है कि हमारी जीवनी तथा हमारे आचरण दुर्बल, हमारे प्रयास और हमारी चेष्ठाएं दूषित, हमारी कूटनीति नीति रहित, हमारी भावनाएं वश रहित, हमारा अपने रब से संबंध संदिग्ध तथा गैरों में हमारे विषय में बुरी कल्पनाएं हैं ऐसी परिस्थिति में शक्तिशाली भाषणों, तथा कठोर स्वरों तथा प्रदर्शनों से कहां तक काम चल सकता है इस समय हमारा काम गंभीरता के साथ अवसरानुसार कूटनीति अपनाने, अपने चरित्र को शुद्ध करने और नर्म व गर्म दोनों आवसरों के लिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत को अपनाने की जरूरत है, जिस में हर प्रकार तथा हर अवसर की समस्याओं का समाधान विद्यमान है इस वास्तविकता को हमारे काइदीन (नेताओं) को भी समझना है और समस्त मुसलमानों को भी समझना है अल्लाह तआला हम को वास्तविकता को समझने तथा शुद्ध प्रयास करने का सामर्थ्य दे। आमीन

❖❖❖

एक हदीस का भावार्थ

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने फरमाया जो कोई मेरे वली से दुशमनी करेगा मैं उस से युद्ध की घोषणा कर दूंगा। मेरा बन्दा सब से अधिक फर्जों को अदा करके मेरा करीबी बनता है फिर वह नफ्ल कामों द्वारा मेरा करीबी होता रहता है। यहां तक कि वह मेरा प्रिय बन जाता है फिर मैं उस का कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है और उसकी निगाह बन जाता हूं जिससे वह देखता है। उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वह चलता है अर्थात वह अपने कानों, अपनी आंखों, अपने हाथों और अपने पैरों को मेरी मरजी के खिलाफ प्रयोग नहीं करता मुझ से वह कुछ मांगता है तो मैं उसे देता हूं और वह मेरी शरण चाहता है तो मैं उसे शरण देता हूं।

(बुखारी)

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मैं बीमारी से शिफा पा गया तो एक बकरा मस्जिद में दूंगा अब वह शख्स शिफा पा चुका है और चाहता है कि वह एक बकरा ज़ब्ह कर के मस्जिद के तमाम नमाज़ियों को खिला दे क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जब कि नमाज़ियों में अमीर व गरीब सब हैं।

उत्तरः जब उसने शिफा पाने पर मस्जिद में बकरा देने की मन्नत मानी है और वह शिफा पा चुका है तो इस सूरत में बकरा बेच कर उस की कीमत मस्जिद के कामों पर खर्च की जाएगी, नमाज़ियों को खिला देने से मन्नत अदा न होगी।

(रद्दुल मुहतारः 5/523)

प्रश्नः एक शख्स का बच्चा बीमार हुआ तो उस ने मन्नत मानी कि अगर मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो मेरे पास जो बकरी है उसको मदरसे में दे दूंगा अब बच्चा अच्छा हो गया वह शख्स चाहता है कि वह अपनी बकरी पाले रहे और दूसरी बकरी खरीद कर मदरसे में दे दे तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा?

उत्तरः शख्से मज़कूर ने मुतअय्यन (निश्चित) बकरी की मन्नत मानी है इस लिए वही बकरी मदरसे में सद्क़ा करना जरूरी है।

(बदाइ उस्सनायेः 5/87)

प्रश्नः एक शख्स ने मन्नत मानी कि उस की बकरी से जब बच्चा पैदा होगा तो उस का पहला बच्चा मस्जिद में देगा बकरी ने पहला बच्चा जना अब वह क्या करे? क्या उस बच्चे को बेच कर उस की कीमत खैरात कर सकता है?

उत्तरः जब बकरी का पहला बच्चा मस्जिद में दे देने की मन्नत मानी थी और पहला बच्चा पैदा हो गया तो उस को बेच कर उस की कीमत मस्जिद में दे देना ज़रूरी है। (ऊपर का हवाला)

प्रश्नः एक शख्स ने किसी बात पर गुस्से में कहा कि मेरे लिए बकरी पालना और बकरी का गोश्त खाना हराम है, क्या वह शख्स बकरी पाल सकता है और उसका गोश्त खा सकता है?

उत्तरः अगर कोई शख्स कोई हलाल चीज अपने ऊपर हराम कर लेता है तो उस के हराम करने से वह चीज उस पर हराम न होगी बल्कि उस का इस्तेमाल उस के लिए जाइज़ रहेगा अलबत्ता वह उसके इस्तेमाल पर चूंकि हानिस (कसम तोड़ने वाला) होगा इस लिए उस पर कसम तोड़ने का कफ़्फ़ारा अदा करना जरूरी है।

(रद्दुल मुहतारः 3/63)

कसम तोड़ने का कफ्फारा

कसम तोड़ने का कफ्फ़ारा (प्रायश्चित) दस मुहताजों को दोनों वक्त औसत दर्जे का वह खाना खिला देना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो या फिर उन्हें कपड़े पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना होगा और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो तो उसे तीन दिन के रोज़े रखने होंगे,

परन्तु जो शख्स दस मिस्कीनों को खाना खिला सकता है वह अगर तीन रोज़े रखेगा तो कफ्फारा अदा न होगा।

प्रश्नः एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मुझे सड़क बनवाने का ठेका मिल गया तो मैं मस्जिद में मनारा बनवा दूंगा, उसे ठेका मिल गया तो क्या उस पर मस्जिद में मनारा बनवाना जरूरी है?

उत्तरः नज़्र वाजिब होने के लिए जरूरी है कि जिस चीज़ की नज्र मानी है वह इबादत मकसूदा हो मनारा बनवाना इबादते मकसूदा नहीं है इसलिए मनारा जरूरी नहीं है बेहतर यह है कि मनारा बनवाने में जितनी रकम खर्च होती उतनी रकम किसी मस्जिद की तामीर में सर्फ कर दे।

(रद्दुल मुहतारः 5/516)

प्रश्नः एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मेरा फुलां काम हो गया तो मैं तबलीग में एक चिल्ला लगाऊंगा उस का वह काम हो गया लेकिन अपनी मशगूलियत की वजह से चिल्ले में नहीं जा पा रहा है ऐसी सूरत में अगर वह अपनी जगह किसी दूसरे को खर्च दे कर चिल्ले में भेज दे या एक चिल्ले के सफर पर जितनी रकम खर्च होती है उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो मन्नत पूरी हो जाएगी या नहीं?

उत्तरः नज्र व मन्नत वाजिब होने के लिए जरूरी है कि जिस चीज की मन्नत मानी है वह इबादते मक्सूदा हो (बदाइ उस्सनायेः4/82)

चिल्ले में जाना इबादते मक्सूदा नहीं इस लिए चिल्ले में जाना अगरचि जरूरी नहीं लेकिन चिल्ले में खुद जाने से जो उस को फाइदे हासिल होंगे दूसरे को भेजने से वह फाइदे उस को न मिल सकेंगे।

प्रश्नः एक शख्स के पास कपड़ों की बड़ी दुकान है उस ने इरादा किया था कि इन कपड़ों से जो टुकडे बचेंगे उन के बेचने से जो रकम आएगी उस को गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करूंगा उस के पास बहुत से लोग मस्जिद की तामीर के लिए चन्दा मांगने आते हैं क्या वह उन टुकड़ों की कीमत में से मस्जिद की तामीर में चन्दा दे सकता है?

उत्तरः जब उस शख्स ने कहा कि बचे हुए टुकड़ों की कीमत ग़रीबों पर तक्सीम करूंगा तो अब यह टुकड़ों के बेचने की रकम ग़रीबों और फक़ीरों ही पर खर्च होगी। मस्जिदों की तामीर पर खर्च न होगी इसलिए कि मस्जिदों से फाइदा उठाने वाले अमीर व गरीब सब होते हैं। (रद्दुल मुहतारः 2/339)

प्रश्नः जो बकरे गैरुल्लाह के नाम पर छोड़े गए हैं उन को शरई तरीके पर ज़ब्ह कर के उन का गोश्त खाना जाइज है या नहीं?

उत्तरः अगर बकरे का मालिक अपनी नीयत से तौबा कर के खुद से ज़ब्ह कर दे या उसे किसी को हिबा कर दे और वह ज़ब्ह करे या किसी के हाथ बेच दे और वह शरई तौर पर ज़ब्ह करे तो उस का गोश्त खाना जाइज होगा लेकिन अगर बकरे के मालिक ने गैरुल्लाह के नाम पर बकरा छोड़े जाने की नीयत से तौबा नहीं की बल्कि वैसे ही छोड़े रखा और फिर उस ने उस को ज़ब्ह किया तो उस का गोश्त खाना जाइज नहीं है चाहे

वह बिस्मिल्लाह पढ़ कर शरीई तरीके पर ज़ब्ह करे।

(फतावा अजीजी:1/35)

प्रश्न: आक़िला बालिग़ा (बुद्धिमान तथा व्यस्क) लड़की के निकाह के लिए उसके गैर वली रिश्तेदार ने उस से मुतअ़य्यन (निश्चित) महर पर मुतअय्यन शख्स से निकाह की इजाज़त मांगी लड़की ने कहा इजाज़त है, इजाज़त लेने वाले ने मस्जिद में जा कर नमाज़ियों के सामने एक आलिम से निकाह पढ़वा दिया यह निकाह दुरूस्त हुआ या नहीं? बाज लोग कहते हैं कि इजाज़त लेने के वक्त दो मर्द गवाह न थे इस लिए निकाह दुरुस्त नहीं हुआ सहीह क्या है?

उत्तर: वकालते निकाह अर्थात निकाह की इजाज़त लेते वक्त और इजाजत देते वक्त गवाह जरूरी नहीं है जियादा से जियादा मुस्तहब है इसलिए अगर इजाजत लेने वाले शख्स ने उस लड़की का बाकाइदा मजलिसे निकाह में गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़वा दिया तो निकाह सही और दुरुस्त हो गया।

(अलहिन्दीया: 1/294)

प्रश्न: आकिला बालिग़ा कुंवारी लड़की से उसके निकाह के लिए गैर वली रिश्तेदार ने उससे दो गवाहों की मौजूदगी में मुतअय्यन महर पर मुतअय्यन शख्स से निकाह की इजाज़त मांगी लड़की जवाब में खामोश रही इजाज़त मांगने वाले ने उस की खामोशी को इजाज़त पर महमूल कर के मस्जिद में जा कर नमाजियों के सामने एक आलिम से निकाह पढ़वा दिया और लड़की शौहर के साथ रुख्सत कर दी गई लड़की अपने शौहर से खुशी के साथ हम कनार हुई यह निकाह सही हुआ या नहीं?

उत्तर: आकिला बालिग़ा कुंवारी लड़की से अगर गैरवली निकाह की इजाज़त मांगे तो सय्यिबा (विवाहिता औरत जो बेवा हो गई हो या तलाक़ हो गई हो) की तरह उस को भी ज़बान से कह कर इजाज़त देना जरूरी है अगर गैर वली ने इजाज़त तलब की और लड़की उस वक्त खामोश रही उस ने खामोशी को इजाज़त समझ कर निकाह पढ़ा दिया तो अगर उस के बाद लड़की शौहर के साथ रुखसत हो कर चली गई और उसने शौहर को खुशी के साथ कुदरत (मिलाप की अनुमति) दे दी तो यह भी रजामन्दी की दलील होगी और निकाह दुरुस्त समझा जाएगा।

(अद्दुर्रुलमुंख़तार: 4/164)

प्रश्न: कुर्आन मजीद की कसम खाना या कुर्आन सर पर रख कर या हाथ में ले कर किसी बात का वादा करना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर: कुर्आन मजीद अल्लाह तआला की मुकद्दस किताब है, मामूली कामों और बातों के लिए इस का इस्तेमाल खिलाफे अदब है, कसम खानी हो तो अल्लाह के नाम की कसम खाए, लेकिन अगर कुर्आन उठा कर कसम खाते हैं तो कसम हो जायेगी और जो इरादा क़सम से किया है उस का पूरा करना जरूरी होगा। अल्लामा इब्नि नजीम ने ऐसा ही लिखा है।

(अल बहर्रुाइक: 4/482)

प्रश्नः एक लड़के ने कसम खाई कि वह शादी नहीं करेगा मगर बाप उसे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं, अब अगर वह मां बाप की इताअत में शादी कर ले तो उस को क्या करना पड़ेगा?

उत्तरः शादी न करने की कसम खाना दुरुस्त नहीं है, उस को चाहिए कि मां बाप की इताअत में शादी कर ले और कसम का कफ़्फ़ारा अदा करे कसम का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को दोनों वक्त खाना खिलाना है या दस मिस्कीनों को कपड़े पहनाना है, अगर इन दोनों बातों पर क़ुदरत नहीं है तो मुसलसल एक साथ तीन रोज़े रखे। (किताबुल फतावाः6/31)

प्रश्नः दो मुसलमानों ने आपस में मुआहदा किया कि वह हमेशा साझे में कारोबार करेंगे और साझे में कारोबार की शुरुआत कर दी लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में अन बन हो गई और दोनों ने अलग अलग कारोबार शुरु कर दिया, इस मुआहदा को तोड़ने पर उन को क्या करना होगा?

उत्तरः अगर सिर्फ वादा किया था मगर कसम नहीं खाई थी तो वादा तोड़ने का गुनाह हुआ इस पर तौबा व इस्तिगफार लाज़िम है, अगर मुआहदा तोड़ने का माकूल सबब था तो गुनाह नहीं हुआ। बेसबब मुआहदा करके मुआहदा न तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर मुआहदा करते वक्त कसम भी खाई थी तो मुआहदा तोड़ने पर कसम का कफ़्फ़ारा देना होगा।

प्रश्नः एक शख्स से कोई गलती हुई लेकिन उस ने भरी मजलिस में कसम खा ली कि उसने गलती नहीं की है लेकिन अब वह शर्मिन्दा है क्या उस को झूठी कसम खाने पर कसम का कफ़्फ़ारा देना होगा?

उत्तरः झूठी कसम खाना बड़ा गुनाह है झूठी कसम खाने वाले को इस पर तौबा व इस्तिगफ़ार करना चाहिए लेकिन किसी गुजरी हुई बात पर झूठी कसम खाने का कफ़्फ़ारा नहीं है। (मुलतक़ा अल अब्हरः 260/261)

प्रश्नः क्या नाबालिग बच्चे की कसम का एतबार होगा अगर नाबालिग बच्चा अपनी कसम तोड़ दे तो उसे क्या करना होगा?

उत्तरः कसम के मोतबर (विश्वस्त) होने के लिए यह शर्त भी है कि कसम खाने वाला बालिग हो, ना बालिग की कसम का शरीअत में कोई एतिबार नहीं है, यानी ना बालिग़ की कसम कसम नहीं है।

प्रश्नः कफ़्फ़ारा किसे कहते हैं?

उत्तरः कफ़्फ़ारा ऐसे काम को कहते हैं जो गुनाह के असर को मिटा दे, और आदमी को उस गुनाह से पाक कर दे।

(किताबुल फतावाः6/40)

प्रश्नः कसम के कफ़्फ़ारे में क्या चीज़ देनी पड़ती है?

उत्तरः कसम के कफ़्फ़ारे में दस गरीब मुसलमानों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना या दस गरीब मुसलमानों को कपड़े पहनाना है अगर इन दोनों कामों पर कुदरत नहीं हो तो तीन रोजे मुसलसल रखना है।

प्रश्नः अगर कोई शख्स किसी सबब से अपने किसी अजीज़ के यहां न जाने की कसम खा ले मगर कुछ

दिनों बाद दोनों में मेल हो जाए और वह अज़ीज़ के यहां आने जाने लगे तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना होगा?

उत्तर: किसी अज़ीज़ के यहां न जाने की कसम खाना क़तअे रहिमी (अपने रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ना) है जो बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर कसम खा ली है तो कसम तोड़ दे और कसम का कफ़्फ़ारा अदा करे यानी दस गरीब मुसलमानों को दोनों वक्त खाना खिलाए, या दस मुसलमानों को कपड़ा पहनाये अगर इन दोनों अमलों में से किसी पर अमल करने की कुदरत न हो तो तीन रोजे लगातार रखे।

प्रश्न: एक शख्स ने कसम खाई कि कुर्आन की कसम मैं तुम्हारे घर न आऊँगा लेकिन कुछ दिनों बाद वह उस के घर आने जाने लगा तो क्या उस पर कसम तोड़ने का कफ्फ़ारा लाजिम होगा?

उत्तर: कुर्आन की कसम से कसम हो जाती है इस लिए उस को कसम तोड़ने का कफ्फ़ारा अदा करना होगा।

प्रश्न: एक शख्स ने कसम खाई कि कसम है का–बए–मुकर्रमा की मैं अमरूद न खाऊँगा लेकिन कुछ दिनों बाद वह अमरूद खाने लगा क्या उस पर कसम तोड़ने का कफ़्फ़ारा लाजिम होगा?

उत्तर: काबे की कसम से कसम नहीं होती है हिदाया में है, अनुवादः "जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उस की कसम नहीं हुई जैसे नबी की कसम या काबे की कसम"।

(हिदाया:2/479)

इस लिए उसको कफ्फ़ारा न देना होगा, लेकिन याद रहे इस्लाम में जियादा कसम खाना न पसन्दीदा है और गैरुल्लाह की कसम खाना दुरुस्त नहीं है।

प्रश्न: अगर कोई मुसलमान जुमे के दिन अजान के बाद अपनी दुकान न बन्द करे वह हिन्दू नौकर को दुकान में बैठा कर नमाज़ पढ़ने चला जाए ऐसा करने से उस पर गुनाह तो न होगा?

उत्तर: अल्लाह तआला का जुमे के दिन मोमिनीन के लिए अजान होते ही जुमें की नमाज़ की तरफ जाने और खरीद व फरोख्त तर्क कर देने का हुक्म है जैसा कि पवित्र कुर्आन में आदेश है, अनुवादः "ऐ ईमान लाने वालो, जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए पुकारा जाए यानी अजान दी जाए तो अल्लाह की याद की तरफ यानी खुतबा सुन्ने और नमाज़ पढ़ने की तरफ दौड़ पड़ो यानी जल्दी करो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो"।

(अलजुमुआः 9)

अस्ल हुक्म तो यही है लेकिन दुकान पर अगर गैर मुस्लिम मुलाजिम हो और वह दुकान चला रहा हो और मुसलमान मालिक मस्जिद चला गया हो तो यह नाजाइज तो न होगा लेकिन एहतियात और जुमे की अहमीयत व फजीलत का तक़ाज़ा यह है कि पहली अजान के बाद दुकान बन्द कर दी जाए ताकि जुमे के दिन की अज़मत और शान व शौकत में इज़ाफ़ा हो और इस पर अमल करने में ही बेहतरी है जैसा कि आयत के आखिर में सराहत है "यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो"।

(अलजुमुआ– 62:9)

प्रश्नः आजकल जुमे के दिन पहली अज़ान मनारे पर होती है बाज लोग कहते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में यह अजान न थी इस लिए यह अज़ान बिदअत है जो हज़रत उस्मान के जमाने से चल रही है ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए?

उत्तरः जुमे की नमाज़ की अज़ान मनारे पर से या किसी और जगह से मस्जिद में जो पहली अजान दी जाती है वह बिदअत हरगिज नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मदीना तय्यिबा में मुसलमानों की तादाद कम थी खुतबे के वक्त जो अजान दी जाती थी वह काफी होती थी बाद में मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई और एक अजान काफी नहीं हो रही थी इस लिए हज़रत उस्मान रज़ि0 ने अपने जमाने में सहाबा के मशवरे से खुतबे वाली अजान से पहले एक और अजान का हुक्म दिया ताकि मुसलमान अजान सुन कर जुमे की नमाज़ की तैयारी करें इस अजान से मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी पैदा हुई, उस वक्त के मौजूद सहाबा ने इस को पसन्द किया सहाबा के मशवरे से जो काम हो और सहाबा जिस अमल पर राजी व मुत्तफिक हो जाएं वह इजमाअ़ कहलाता है जो दीन में हुज्जत है इस लिए इस अजान को बिदअ़त नही कह सकते फिर हज़रते उस्मान खुलफा–ए–राशिदीन में से हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म है, अनुवादः "ऐ मुसलमानों तुम पर मेरी सुन्नत पर चलना जरूरी है और मेरे हिदायत पाए हुए खुलफा की सुन्नत पर चलना भी जरूरी है"।
(मिशकात बाबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्नत) इस लिए इस आजन को जिसे हज़रत उस्मान रज़ि0 ने जारी किया बिदअत नहीं कह सकते।

प्रश्नः जुमे की नमाज़ और खुतबे से पहले बाज मस्जिदों में दीनी तकरीर होती है बाज तकरीर करने वाले माजूर न होते हुए बैठ कर तकरीर करते हैं कुछ लोगों का कहना है कि उन को खड़े हो कर तकरीर करना चाहिए, क्या यह सहीह है?

उत्तरः तकरीर व बयान की हैसियत खुतबे की नहीं है बल्कि उमूमी नसीहत व तज्कीर की है इस लिए मिम्बर या कुर्सी पर बैठ कर बयान करने में कोई हर्ज नहीं है तकरीर करने वाला चाहे जवान हो या बूढ़ा (किताबुल फतावाः 8/190)

प्रश्नः जुमे के दोनों खुतबों के बीच में बैठने का क्या हुक्म है?

उत्तरः जुमे की नमाज़ से पहले दो खुत्बे देना मस्नून है और दोनों खुतबों के बीच में तीन आयतें पढ़ने के बक़द्र बैठना सुन्नते मुअक्कदा है, लिहाजा अगर दोनों खुतबों के बीच में तीन आयतों के पढ़ने के बकद्र न बैठे गा तो उस पर सुन्नते मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह होगा मगर जुमे की नमाज़ हो जाएगी।
(रद्दुल मुहतारः 3/20)

प्रश्नः जुमे का खुतबा शुरु हो जाने के बाद जुमे की नमाज़ से पहले की सुन्नतों का पढ़ना दुरूस्त है या नहीं? मस्जिदों में देखा

जाता है कि बाज लोग दौराने खुतबा भी सुन्नतें पढ़ते हैं क्या यह शरीअ़त में मना नहीं है? इस तरह खुतबे से पहले जो बयान होता है उस दौरान सुन्नत नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं?

उत्तर: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 के बारे में रिवायत है कि उन के निकट जैसे ही इमाम खुतबे के लिए निकलता है उस वक्त से ही बातें करना या नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है इन हज़राते सहाबा की यही राय थी मुसन्नफ अबी शैबा में सराहत है, अनुवादः "सहाबा रज़ि0 इमाम के खुतबे के लिए निकलने के वक्त से बात चीत करने और नमाज़ पढ़ने को मकरूह जानते थे"।

(नस्बुर्रायः ब हवाला मुसन्नफ अबी शैबाः 2/202)

इसलिए खुतबा शुरूअ़ हो जाने के बाद तहीयतुल मस्जिद या जुमे की सुन्नतें नहीं पढ़ना चाहिए अल्बत्ता खुतबे से पहले जो तकरीर होती है उसके दौराने सुन्नत नमाजें पढ़ी जा सकती हैं इसलिए कि वह तकरीर, जुमे के खुतबे के हुक्म में नहीं आती है।

❖❖❖

माली इदारों को सूद .....

ईसाई और यहूदी बसे हुए हैं, उनके लिए भी ब्याज का प्रचलन उनके धर्म के विरुद्ध है परन्तु उनको इस की चिन्ता नहीं बल्कि उन लोगों ने ब्याज के लेन देन को वित्तीय व्यवस्था में आवश्यक ठहरा रखा है यद्यपि ब्याज केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं सांसारिक दृष्टि से भी दुष्परिणाम रखता है, यही कारण है कि यूरोप की सारी वित्तीय व्यवस्था वैध तथा अवैध की चिन्ता किये बिना चल रही है, यदि यूरोपी वित्तीय व्यवस्था अपनाकर चाहे उस में कुछ चीजों में सुधार कर दिया जाए तब भी उस के विकारों से बचा नहीं जा सकता अतः हम मुसलमानों को अपने लिए पृथक वित्तीय व्यवस्था बनानी होगी, जिस में खुदाई शिक्षाएं पूर्णतया विद्यमान हों इसी में हमारी सारी कठिनाईयों का समाधान है, वास्तव में यह व्यवस्था पवित्र कुर्आन की इस आयत के अंतर्गत होगी। अनुवादः "तुम जो कुछ ब्याज पर देते हो, ताकि वह लोगों के मालों में सम्मिलित हो कर बढ़ जाए, तो वह अल्लाह के यहां नहीं बढ़ता, किन्तु जो ज़कात तुम ने अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दी, तो ऐसे ही लोग (अल्लाह के यहां) अपना माल बढ़ाते हैं"। (अर–रूमः39)

इस आयत की रौशनी में हमारे माली इदारों (वित्तीय संस्थाओं) के कियाम में मानवीय सहानुभूति तथा स्वार्थ रहित भावना होगी जिस में उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता होगी और हमारे अन्दर लोगों की सहायता की भावना होगी और हमारे अन्दर भौतिक लाभ की भावना न होगी।

❖❖❖

—देवनागरी लिपि में उर्दू

खतरनाक, मुहलिक और तश्वीशनाक अमराज

—हज़रत मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी —प्रस्तुतिः मौ0 गुफरान नदवी

हम वबाओं से डरते हैं, अमराज़ से घबराते हैं, बलाओं की दहशत हमारे दिलों में समाई हुई है, और उसके लिए हर तहर की एहतियाती तदबीरें अमल में लाते हैं, यहां तक कि अगर कोई कह दे कि यहां कालरे का एक केस हो गया है तो पूरे शहर में दहशत फैल जाती है, हर शख्स पर ख़ौफ़ मुसल्लत हो जाता है और यह समझने लगता है कि इस वबा का पहला शिकार वही होगा, लेकिन अख़लाक़ी अमराज़, यह ग़लत अख़लाक व आदात, जिन को अल्लाह और रसूल सल्ल0 ना पसन्द करते हैं, यह माद्दा परस्ती शहवत परस्ती, हर जगह कूवत के सामने सर निगूं हो जाना, ख़्वाहिशात की बे क़ैद इताअत, जज़बात की रौ में बह जाना, लह्वु व लइब में इनहिमाक, रक़्स व सुरूद, ज़ेहनी तसकीन और आराम तलबी व ऐश कोशी के दीगर वसाएल में हद से बढ़ी हुई दिल चस्पी, कियादतों और नारों की अन्धी तक़लीद, हक़ाएक़ से चश्म पोशी, बार बार के तजुरबात से इबरत हासिल न करना, उम्मीदों और आरजूओं की बे लगामी, इन्सानों का हक से बढ़ा हुआ एहतिराम, सियासी और ग़ैर सियासी लीडरों और रहनुमाओं की तक़लीद और उनके बारे में ग़लत फ़हमियों और लग़ज़िशों से मासूमियत का एतिक़ाद, यह अमराज़ हमारे अन्जाम और हमारे मआशरे के लिए हज़ारों दुश्मनों और दुश्मन के हज़ारों लशकरों से कहीं ज़ियादा खतरनाक, कहीं ज़ियादा मुहलिक और कहीं ज़ियादा तश्वीशनाक हैं।

(तामीरे हयात 25 मार्च 2017 से ग्रहीत) ◆◆

भयानक, विनाशक तथा चिन्ताजनक रोग

हम महामारी से डरते हैं, रोगों से घबराते हैं, विपत्तियों का भय हमारे दिलों में समाया हुआ है, और उन से बचने के लिए हर प्रकार के उपाय अपनाते हैं, यहां तक कि अगर कोई कह दे कि यहां हैजे का एक केस हो गया है तो पूरे नगर में भय फैल जाता है, हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है और यह समझने लगता है कि वह इस महामारी का कहीं किशार न हो जाए, परन्तु नैतिक रोग, दुराचार तथा बुरे स्वभाव जो अल्लाह और रसूल सल्ल0 को अप्रिय हैं उनकी अनदेखी की जाती है, यह भौतिकता, विलासता तथा हर अवसर और हर स्थान पर शक्ति के आगे सर झुका देना, मन की इच्छाओं का असीमित अनुकरण, भावनाओं की धारा में बह जाना, मनोरंजन की व्यस्तता, नाच बाजा और गाना, आनन्द प्रियता, विश्रास की चाह और सुख प्राप्ति के प्रयास तथा दूसरे सांसारिक साधनों में असीमित रुचि, नेताओं के नारों की अन्धी पैरवी, अनुभवों से सीख न लेना, आशाओं तथा आकांक्षाओं की असीमिता, मनुष्यों का असीमित सम्मान, राजनीतिक तथा कथित नेताओं की पवित्रता बखानना और उनके विषय में भ्रान्ति रहित तथा त्रुटि रहित होने का विश्वास रखना यह रोग हमारे परिणाम तथा हमारे समाज के लिए सहस्त्रों शत्रुओं तथा शत्रु की सहस्त्रों सेनाओं से कहीं अधिक भयानक, कहीं अधिक विनाशक तथा कहीं अधिक चिन्ताजनक हैं। ◆◆

मस्जिद में निकाह

—इं0 जवेद इकबाल

एक सज्जन ने "मस्जिद में निकाह" का बयान इस प्रकार सुनाया

मेरे एक अज़ीज़ का निकाह था उन्होंने मजलिसे निकाह में शिरकत के लिए मुझे भी बुलाया था, मैं मुकर्ररो वक्त पर वहां पहुंच गया, निकाह मस्जिद में था मैं पाक व साफ था वुजू कर के मस्जिद में दाखिल हो गया अस्र की जमाअत होने जा रही थी जमाअत से नमाज़ पढ़ी नमाज़ के खत्म होते ही एलान हुआ कि दुआ के बाद निकाह होगा, मैं अगली सफ में अपने उन अज़ीज़ के बग़ल ही में था जिन का निकाह होना था, दुआ के बाद इमाम साहिब निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पूछा जिस लड़की का निकाह है उसके वालिद मौजूद हैं, एक साहिब ने कहा, मैं लड़की का वालिद हूं, पूछा लड़की से इजाज़त ले ली है? जवाब मिला हां, फिर इमाम साहिब ने लड़की का नाम, बाप का नाम महर की मिक्दार पूछ कर यह तीनों बातें एक कागज़ पर लिख लीं फिर खड़े हुए अरबी में खुतबा पढ़ा फिर खुतबे में जो तीन आयतें और दो हदीसें पढ़ी थी उन का मफ्हूम मुकामी आसान ज़बान में समझाया फिर बैठ कर ईजाब व क़बूल इस तरह कराया मेरे अज़ीज़ से कहा "फुलां बिन्त फुलां को इतने महर पर मैंने आप के निकाह में दिया क्या आपने क़बूल किया?" मेरे अज़ीज़ ने कहा "मैंने क़बूल किया"। फिर इमाम साहिब ने बरकत की दुआ की और तमाम नमाज़ियों ने दुआ में शिरकत की फिर छुहारे तक्सीम हुए, मैं ने भी अपने अज़ीज़ को मुबारकबाद दी और फिर इमाम साहिब से मिला, सलाम और मुसाफहः के बाद मैंने इमाम साहिब से अर्ज किया कि मैं आप का थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं, इमाम साहिब खुशी के साथ राजी हो गए और अपने हुजरे में ले गये, मैंने इमाम साहिब से पूछा कि अगर यह निकाह मस्जिद के बाहर हो तो निकाह के खुतबे और उस के मफ्हूम से आम लोगों को फाइदा पहुंचे। इमाम साहिब ने जवाब दिया कि मस्जिद के बाहर भी निकाह की मजलिस काइम करना दुरुस्त है लेकिन निकहा एक अहम दीनी काम है उस का मस्जिद में होना जियादा बेहतर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अनुवादः "निकहा एलान कर के करो और उस की बेहतरीन जगह मस्जिद है"। (तिर्मिजी)

खुतबे के आखिर में आम तौर से यह दो हदीसें पढ़ी जाती हैं "निकाह मेरी सुन्नत है" "जिस ने मेरी सुन्नत को न पसन्द किया वह मुझ से नहीं है" अर्थात मेरी उम्मत से निष्कासित है अर्थात इस्लाम से बाहर है, अब जरा सोचिए अल्लाह के

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बताएं कि निकाह के लिए बेहतर जगह मस्जिद है तो कोई यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि निकाह के लिए बेहतर जगह मस्जिद के बाहर है?

उन साहिब ने कहा मेरा मक्सद यह था कि आपने जो मुकामी ज़बान में खुत्बे का मफ्हूम बयान किया उस से आम लोग फाइदा उठा सकते थे और उन को दीन की दावत पहुंच सकती थी, फिर मैं देखता हूं बाज निकाह पढ़ाने वाले खुतबे का मफ्हूम मुकामी ज़बान में न बयान कर के लोगों को खुतबे की शिक्षाओं से वंचित कर देते हैं यह बड़ी खराब बात लगती है, तीसरी बात यह कि निकाह में एलान के लिए लाउडस्पीकर पर थोड़ी रकम नहीं खर्च करते जब की दूसरे व्यर्थ कामों में हजारों उड़ा देते हैं, इमाम साहिब ने इन तीनों सवालों का मुझे बहुत अच्छा जवाब इस प्रकार दिया–

जो लोग नमाज़ के वक्त मस्जिद नहीं आते या नहीं आ सकते उन को दीन की दावत देने का उचित आदेश पवित्र कुर्आन में मौजूद है, फरमाया अनुवाद "तुम में एक गरोह अवश्य ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की ओर बुलाए और वह लोगों को भले कामों का आदेश देता रहे तथा लोगों को बुरे कामों से रोकता रहे इसी गरोह के लोग सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं"।

(आले इमरान:104)

आप ध्यान दीजिए आदेश है कि तुम में ऐसे गरोह का (जो दीन की दावत दे) होना आवश्यक है अगर इस आदेश पर अमल किया जाए तो क्या हर व्यक्ति तक दीन की बातें नहीं पहुंच सकती हैं? अतः आप को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आपके समाज में ऐसा गरोह है या नहीं? और यदि है तो आप का उस में कितना भाग है?

निकाह के खुतबे में मस्नून खुतबा पढ़ देने से सुन्नत अदा हो जाती है उस का मफ्हूम मुकामी ज़बान में बयान करने से लोगों को मजीद फाइदा पहुंच जाता है जो मुस्तहब का दर्जा रखता है मुस्तहब छोड़ने पर नकीर करना ना जाइज है रही बात दावत और वाज के फाइदे की उस का बयान मैं पहले कर चुका हूं।

रही बात लाउड स्पीकर से निकाह पढ़ाना और माइक पर खुतबा पढ़ना तो यह एलान के लिए अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं लाउडस्पीकर आज की ईजाद है, एक हजार वर्षों तक जिस प्रकार निकाह का एलान होता रहा है अर्थात आम मज्मे में निकाह, मस्जिद में निकाह, गवाहों के समाने निकाह, निकाह के बाद वलीमा करना इन सब एलानात पर इक्तिफ़ा करने वाले पर नकीर करना नाजाइज है। नकीर तो उन बातों पर करना चाहिए जो शैतान ने निकाह के साथ जोड़ दिया है जैसे–

निकाह पढ़ाने के लिए लड़की के घर पर धूम धाम

से बारात ले जाने की रस्म गैर इस्लामी है, यह रस्म हिन्दोस्तान के मुसलमानों में हिन्दुओं के असर से आई है फिर उसके साथ दूल्हे को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना कर सेहरा मकना बांध कर घोड़े पर सवार कर के या किसी सवारी पर बिठा कर लड़की के दरवाजे पर ले जाते हैं चाहे लड़की और लड़के का घर एक ही महल्ले में हो यह रस्में बहुत ही गलत हैं इसी तरह लड़के वाले लड़की के लिए और लड़की वाले लड़के लिए कई कई जोड़े कपड़े बनाना जरूरी समझते हैं यह रस्म भी गलत है अगर किसी परेशानी के बिना कपड़े वगैरा का प्रबन्ध कर लिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं लेकिन इसे जरूरी न समझें कि कई जोड़े बनाए जाएं, बाज़ जगहों पर बाजा गाजा भी जरूरी समझा जाता है जिस के गुनाह होने में क्या किसी को शक हो सकता है? अलबत्ता केवल दफ की एलान के लिए अनुमति है वह भी जरूरी नहीं बाज जगह निकाह के वक्त दूल्हे की उंगली में सोने की अंगूठी पहनाई जाती है जो मर्द के लिए हराम है।

निकाह जिस तरह लड़की के घर पर हो सकता है उसी तरह लड़के के घर पर भी हो सकता है किसी एक ही सूरत को जरूरी समझ लेना भी ग़लत है। यह बात चल रही थी कि मेरे अजीज का आदमी मुझे बुलाने आ गया, मैंने इमाम साहिब का शुक्रिया अदा किया और सलाम कर के अपने अजीज़ के यहां आ गया मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं कई बातों में ग़लती पर था और फैसला किया कि दीन की बातें सीखने के लिए दीन के जानकारों से अवश्य संबन्ध रखूंगा। मेरे अजीज़ ने मुझ से पूछा अरे आप कहां रह गए? यहां चाय नाश्ता चल रहा था मैंने देखा कि आप मौजूद नहीं हैं तो आदमी दौड़ाया कि आप मस्जिद में होंगे लीजिए मिठाई खाइये नमकीन खाइये और चाय पीजिए, इमाम साहिब को भी नाश्ता भेजा जा रहा है।

◆◇◆

मिल्लत में फूट डालने वालों की खिदमत में

—इदारा

अब्द हो अल्लाह के अल्लाह के जाकिर रहो
उम्मती हज़रत के हो उम्मत के तुम नासिर रहो
जो पढ़े कल्मा नबी का उसको कांफिर मत कहो
जो पढ़े पांचों नमाजें उसको काफिर मत कहो
कुफ्र कुछ देखो जो उसमें दूर तुम उस को करो
भाई वह अपना है मोमिन तुम उसे मत छोड़ दो
हिकमतो तदबीर से तुम राह पर लाओ उसे
हुब्ब और खुल्के हसन से दिल तुम उसका जीत लो
हुब्ब और खुल्के हसन दिल जीत के हथियार हैं
लैस तुम हो कर के इन से दिल सभों के जीत लो
दिल में हो रब का तसव्वुर और ज़ुबां पर हो दुरूद
कौमो मिल्लत के लिए जो कर सको करते रहो

सादगी

—मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

एक यात्री अपने गांव से चला और शहर में आया। उसने सुस्ताने के लिए एक मस्जिद ढूँढी। वहां पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति जौ की रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है।

यात्री उसे बड़े ध्यान से निहारता रहा कि बड़ा अजीब आदमी है। जौ की रोटी बड़े चाव से खा रहा है। भला जौ की सूखी रोटी मजे लेकर खाने वाली चीज़ है?

ख़ैर! यात्री जो गांव से आया था, बड़ा परेशान हाल था। किसी ने उसको राह सुझाई कि शहर जाओ और खलीफ़ा (शासक) से अपनी व्यथा सुनाओ। अल्लाह ने चाहा तो तेरा काम बन जाएगा। वह यात्री अपनी परेशानियों के दूर होने के मीठे–मीठे सपने देखता शहर पहुंचा तो यह सीन देख कर मन बैठ गया कि जब खलीफा के शहर के लोगों की यह हालत है तो फिर मेरा भला होने से रहा।

उस यात्री को मायूस देख कर जौ की रोटी खाने वाले व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई! तुम इतने उदास क्यों हो गए? जब तुम यहां आये थे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। यात्री ने कहा भैय्या! मुसीबत का मारा हूं। इस आशा से शहर में आया था कि खलीफा की कुछ मदद लूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि खलीफा के शहर वालों को स्वयं ढंग की रोटी नहीं मिलती तो दिल बैठ गया।

व्यक्ति ने उसकी व्यथा सुनी और उसे दिलासा दिलाया। अपने साथ ले जा कर सरकारी खजाने से आवश्यकतानुसार धन दिलवाया और वह यात्री खिले मन से घर लौटा। लोगों ने बताया कि ये हज़रत अली रज़ि0 के शासनकाल की घटना है और जौ की रोटी खाने वाला व्यक्ति महान सम्राट हज़र अली रज़ि0 ही थे।

ये घटना हमारे शासक वर्ग के लिए आदर्श है। यदि शासक वर्ग ऐसी घटनाओं से सीख ले कर काम करे तो निश्चित ही देश खुशहाली के पथ पर अग्रसर हो जाए।

❖❖❖

अहले खैर हज़रात की ख़िदमत में

2017 रमज़ानुल मुबारक में नदवतुल उलमा के लिए माली तआवुन हासिल करने की ग़रज़ से जिन असातिज़ह, कारकुनान व मुहस्सिलीन को जिस शहर या इलाक़े में भेजा जा रहा है, उसकी तफ़्सील जैल में दी जा रही है, अहले ख़ैर हज़रात से तआवुन की दरख़्वास्त है।

–मौलाना फ़ख़रुल हसन ख़ाँ नदवी, नाज़िर शो–बए–तामीर व तरक्की नदवतुल उलमा, लखनऊ

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
1	क़ारी फ़ज़्लुर्रहमान सा0 नदवी	9919490477	उस्ताद हिफ़्ज़	मुम्बई
2	हाफ़िज अब्दुल वासे साहिब	9307884504	उस्ताद हिफ़्ज़	मुम्बई, भिवन्डी, मालेगांव
3	मौलाना अब्दुल वकील साहिब नदवी	9889840219	कारकुन शो–बए– इस्लाह मुआशरा	मुम्बई
4	मौ0 मुहम्मद इस्माइल सा0 न0	8604346170	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मुम्बई
5	मौलाना अब्दुल्लाह साहिब नदवी	7499549301	कारकुन द0 दारुल उलूम	मुम्बई न्यु मुम्बई
6	मौलाना मुहम्मद असलम साहिब मजाहिरी	9935219730	उस्ताद दारूल उलूम	मद्रास, विजयवाड़ा
7	मौ0 मुहम्मद इरफान सा0 नदवी	7505873005	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मद्रास, विजयवाड़ा
8	मौलाना मुहम्मद क़ैसर हुसैन साहिब नदवी	7897254496	उस्ताद दारूल उलूम	नवसारी, सूरत, धौलिया, वापी, बेलसाड़
9	मौलाना शफीक अहमद साहिब बांदवी नदवी	9935997860	उस्ताद माहद दारूल उलूम (सिकरौरी)	पटटन, पालनपुर व अतराफ
10	मौलाना मुहम्मद असलम साहिब नदवी	9956223293	उस्ताद माहद दारूल उलूम (सिकरौरी)	पटटन, जुनाड़ेसा, छापी, पालनपुर
11	मौ0शमीम अहमद साहिब नदवी	9935987423	उस्ताद दारूल उलूम	हैदराबाद, निजामाबाद, नान्देड़
12	हाफिज अक़ील साहिब कासिमी	9936603968	उस्ताद हिफ़्ज़	हैद्राबाद
13	मौलाना अनीस अहमद साहिब नदवी	9450573107	उस्ताद दारूल उलूम	भटकल, शेमूगा टमकुर, मन्की, मरड़ेश्वर
14	मौ0 रशीद अहमद साहिब नदवी	7795864313	उस्ताद दारूल उलूम	बंगलूर
15	मौ0 जुहैर अहसन साहिब नदवी	9889258560	उस्ताद माहद सिकरौरी	बंगलूर
16	मौ0 मुफ़्ती मु0 मुस्तकीम सा0न0	9889096140	उस्ताद दारूल उलूम	आसनसोल, कोलकाता
17	मौ0मुफ़्ती साजिद अली सा0 नदवी	8960204060	मुआविन इल्मी दारूलकज़ा	आसनसोल, कोलकाता
18	क़ारी अब्दुल्लाह ख़ाँ सा0 नदवी	9839748267	उस्ताद तज्वीद दारूलउलूम	देहली
19	मौलाना अब्दुस्सलाम सा0 नदवी	9935752951	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	देहली
20	मौ0 मसऊद अहमद सा0 नदवी	9795715987	उस्ताद माहद (सिकरौरी)	कानपुर

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
21	मौ0 शकील अहमद सा0 नदवी	9305418153	कारकुन माहद (सिकरौरी)	इलाहाबाद
22	मौ0 मुहम्मद अमजद सा0 नदवी	9616514320	उस्ताद दारूल उलूम	संभल व अतराफ
23	मौलाना जमाल अहमद साहिब नदवी	9450784350	कारकुन शो–बए– दावत व इरशाद	हैदरगढ, मुगलसराय, सुल्तानपुर व अमेठी
24	बिस्मिल्लाह ख़ाँ साहिब	9935169540	कारकुन माहद (सिकरौरी)	गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
25	मौलाना मुहम्मद नसीम साहिब नदवी	9670049411	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	कानपुर, सन्डीला, गौसगंज, शाहजहांपुर
26	मौलाना बशीरुद्दीन साहिब	9889438910	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर
27	मौलाना इम्तियाज साहिब नदवी	9984070892	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	लखनऊ शहर
28	कारी बदरुद्दीन साहिब नदवी	9450647360	उस्ताद हिफ़्ज़	लखनऊ शहर
29	हाफिज़ मुबीन अहमद साहिब	9839588696	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर
30	मौ0 अब्दुल मतीन साहिब नदवी	9450970865	उस्ताद दारूल उलूम	रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद
31	मौलाना इकरामुद्दीन सा0 नदवी	9839840206	मुहस्सिल शोबा	आसनसोल, कोलकाता
32	मौलाना शरफ़ुद्दीन साहिब नदवी	9936740835	मुहस्सिल शोबा	नागपुर, भोपाल, कानपुर
33	क़ारी माजिद अली सा0 नदवी	9935626993	मुहस्सिल शोबा	सीतापुर, इन्दौर, उज्जैन
34	मौलाना साजिद अली साहिब नदवी	8400015009	मुहस्सिल शोबा	कर्नाटक, आंबूर व गाजियाबाद
35	मौ0 हिफ़ज़ुर्रहमान सा0 थानवी	9997883282	मुहस्सिल शोबा	आसाम, झारखण्ड, बिहार
36	मौलाना मुहम्मद रिजवान साहिब कासिमी	8401801990	मुहस्सिल शोबा	अहमदाबाद व दीगर अजला गुजरात
37	हाफिज़ अमीन असग़र साहिब	9161219358	मुहस्सिल शोबा	अलीगढ़, आगरा, फिरोज़ाबाद, सहारनपुर, बुलन्दशहर, सिकन्द्राबाद
38	मौलाना अलीमुद्दीन साहिब नदवी	8853258362	मुहस्सिल शोबा	खान्डवा, रतनागिरी, पूना, सितारा, कोल्हापुर
39	मौलाना मुहम्मद मुस्लिम साहिब मजाहिरी	8960513186	मुहस्सिल शोबा	औरंगाबाद, जालना, पूना, अहमदनगर, बनारस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नजीबाबाद
40	मौ0 अब्दुलकुद्दूस सा0 कासिमी	9161911515	मुहस्सिल शोबा	बनारस, भदोही, मिरजापुर
41	मौलाना अब्दुर्रहीम साहिब नदवी	7388509803	मुहस्सिल शोबा	बाराबंकी, झांसी, मऊ, आजमगढ़ व अतराफ
42	मौ0 अब्दुल माजिद ख़ाँ साहिब	9918005726	मुहस्सिल शोबा	देहली
43	मौलाना मुहम्मद अक़ील साहिब नदवी	9389868121	उस्ताद मक्तब शहर	सीवान, चम्पारन, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना
44	मौ0मुफ़्ती मु0 जफर आलम नदवी	9598268161	उस्ताद दारूल उलूम	पटना

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
45	मौलाना अबुल हयात सा0 नदवी	9795891123	उस्ताद मक्तब शहर	पटना व अतराफ
46	मौ0 असरारुल हक़ सा0 नदवी	9919203409	उस्ताद मक्तब शहर	लखनऊ शहर
47	मौलाना अब्दुल कबीर साहिब फारूक़ी	8853677677	उस्ताद मक्तब (महपतमऊ)	काकोरी व अतराफ लखनऊ
48	मौलाना मु0 मुशताक़ साहिब नदवी	9415102947	नाइब मुहतमिम (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ, कानपुर
49	मौलाना अब्दुश्शकूर साहिब नदवी	8604526853	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	मुम्बई, भावनगर, विजय वाड़ा
50	हाफिज मुहम्मद नईम साहिब	9889444917	उस्ताद हिफ़्ज़ (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	मुम्बई, नागपुर
51	हाफिज बख्शिश करीम साहिब	7388324879	उस्ताद हिफ़्ज़ (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	मुम्बई, पश्चिमी लखनऊ
52	कारी मुहम्मद सालिम साहिब	9889735087	निगरां तामीरात	मुम्बई, पुराना लखनऊ
53	मौलाना अब्दुर्रऊफ साहिब नदवी	9336096921	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	कानपुर, मगरबी लखनऊ, बनारस, भदोही
54	मौलाना फहरान आलम साहिब नदवी	9235711407	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	बस्ती, लखनऊ
55	मौलाना अशरफ अली रशीदी साहिब	7505526255	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
56	मौलाना लुकमान साहिब नदवी	9616593360	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी
57	मौलाना मुहम्मद यामीन साहिब नदवी	8960231792	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
58	मौलाना सरताज अहमद साहिब कासिमी	9889026124	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
59	मौलाना सईद अन्जुम साहिब	9305902746	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
60	डॉ0 मुहीउद्दीन साहिब	9415766507	उस्ताद (मदरसा मज़हरुल इस्लाम)	लखनऊ
61	हाफिज नजमुद्दीन साहिब	9616624133	उस्ताद मक्तब	लखनऊ
62	हाफिज जलील अहमद साहिब	9956492163	उस्ताद मक्तब	लखनऊ
63	मास्टर जमाली आसी साहब	9336048990	उस्ताद मक्तब	लखनऊ, कानपुर
64	हाफिज रकीमुद्दीन साहिब नदवी	9621040705	कारकुन कुतुब खाना	लखनऊ
65	कारी लियाक़त साहिब	9450367182	उस्ताद हिफ़्ज़	लखनऊ
66	हाफिज मु0 आजम रहमानी सा0	9006373938	मुहस्सिल शोबा	मुम्बई

उर्दू सीखये

—इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढये।

मुसलमान हलाल रोज़ी खाता है
مسلمان حلال روزی کھاتا ہے

मुसलमान हराम रोज़ी नहीं खाता है
مسلمان حرام روزی نہیں کھاتا ہے

जाइज़ मेहनत की उजरत हलाल रोजी है
جائز محنت کی اجرت حلال روزی ہے

मुसलमान जाइज़ काम की ही मज़दूरी करता है
مسلمان جائز کام کی ہی مزدوری کرتا ہے

मुसलमान जाइज़ काम की ही नौकरी करता है
مسلمان جائز کام کی ہی نوکری کرتا ہے

मुसलमान कमज़ोरों की मदद करता है
مسلمان کمزوروں کی مدد کرتا ہے

मुसलमान ग़रीबों की मदद करता है
مسلمان غریبوں کی مدد کرتا ہے

मुसलमान किसी को नाहक़ तक्लीफ नहीं पहुंचाता है
مسلمان کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچاتا ہے

मुसलमान हमेशा सच बोलता है
مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے

मुसलमान किसी को धोका नहीं देता है
مسلمان کسی کو دھوکا نہیں دیتا ہے

मुसलमान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है
مسلمان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے